वर्ष 3 अंक 9 सितंबर 1981 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सीटू की जनरल काउंसिल की बैठक
21-24 अगस्त, बेलूर, हावड़ा
बी. टी. रणदिवे का अध्यक्षीय भाषण

साथियो, मैं अपने शहीदों को, और उनको जिन्होंने मजदूर वर्ग के लिए अपने जीवन त्याग दिए, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. हमारे कुछ साथी और कामरेड अब हमारे साथ नहीं हैं. हम उनकी याद को ताजा करते हैं और आम जनता के हितों में उनकी लगन का सम्मान करते हैं. हम एक महत्वपूर्ण पार्लियामैंटेरियन और सी. पी. आइ. के नेता कामरेड भूपेश गुप्त के देहावसान पर शोक मनाते हैं. उनकी मृत्यु भारत की वामपंथी ताकतों के लिए भारी नुकसान है. हम सब हमारे साथी संगठन एच. एम. एस. के अध्यक्ष कामरेड बाल दंडवते की मृत्यु पर शोक मनाते हैं. वह ट्रेड यूनियन एकता के अथक प्रचारक थे और उनकी मृत्यु, एकता के लिए हमारे संघर्ष के लिए क्षति है. हम सभी कामरेड दिनेश मजूमदार और कामरेड पी. सी. जोशी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं.

साथियो, पिछली बार जब हम कन्नानोर में मिले थे उसके बाद कई महत्वपूर्ण घटनाए घटी हैं. इनमें प्रमुख हैं वाममोर्चा सरकारों का कांग्रेस (आई) को इन्हें अस्थिर करने की कोशिशों के खिलाफ सघर्ष और बदनाम आवश्यक सेवा अध्यादेश की घोषणा. ये मतभेदी घटनाएं उसी राजनीतिक वास्तविकता— अधिनायकवादी और जनवादी ताकतों के बीच जबरदस्त संघर्ष का एक भाग हैं जो राजनीतिक और आर्थिक मंच पर हावी है.

पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल की तीन सरकारों का लगातार अस्तित्व अपने आप में ही जनवादी ताकतों की जीत है क्योंकि यह शासक पार्टी द्वारा इन सरकारों को जनता से दूर करने में असफलता की घोषणा करता है. पश्चिम बंगाल में छटपटाती कांग्रेस (आई) को तीन बार और करारी हार देने से यह जीत और भी बड़ी हो जाती है.

पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग और जनता ने कांग्रेस (आई) पार्टी और इसके समर्थकों को उस समय लज्जापूर्ण मात दी जब 3 अप्रैल का 'बंद' नाकामयाब हो गया और इसका आह्वान करने वालों ने जनता को डराने-धमकाने के लिए निचले स्तर की हिंसा का सहारा लिया. मजदूर वर्ग ने उद्योग का चक्का चालू रखा. हमारे ट्रामवेज और राज्य परिवहन के मजदूरों की भूमिका प्रशंसनीय, साहसी और प्रेरणापूर्ण थी जिन्होंने बंद के दिन ट्रामें और बसें चलाकर आग लगाने वालों को करारी चपत लगाई. हम उन मजदूरों का सम्मान करते हैं जिन्होंने इस भयंकर संघर्ष में अपनी जानें गवाईं. अपने उन सर्वहारा नायकों के सम्मान में सी. आई. टी. यू. अपना झंडा बुलंद करती है जो यह जानते थे कि वे जनता की ओर से जनवाद के लिए संग्राम कर रहे हैं. तीन अप्रैल को अपने काले कारनामों पर जनता के क्रोध से भयभीत होकर कांग्रेस (आई) म्यूनिसिपल चुनावों से भाग खड़ी हुई और यह उसकी दूसरी हार थी. संसद और विधानसभा के उपचुनावों में इसको फिर से उखाड़ फेंका गया. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में वामपथी ताकतों के नेतृत्व में ये जीत पड़ौसी राज्यों में विपक्षी पार्टियों की हार के बिलकुल विपरीत है. इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस (आई) की इन कामयाबियों में कम मतदान, रिगिंग और धोखाधड़ी ने अपनी भूमिका अदा की है, फिर भी इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि विपक्षी पार्टियों ने न तो एकजुट चुनावी विपक्ष पेश किया और न ही वे जनता के हित में एक विकल्प नीति के साथ जनता में विश्वास जगा पाईं.

ये घटनाएं यह दर्शाती है कि मजदूर वर्ग और जनता के सहयोग से वामपंथी ताकतों ने अधिनायकवादी ताकतों के आगे बढ़ने को रोकने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और भारत में जनवाद के निमित्त सेवा की है.

साथियो हम अपनी ख्याति से संतुष्ट होकर चुप नहीं बैठ सकते हैं. केंद्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को बदल कर अपने एक जिग्री नुमाइंदे को यह पद सौंपना चाहती है ताकि यह राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए नए हमले कर सके. एक उद्दंड सरकार के व्यवहार के किसी भी तरीके पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

अधिनायकवादी शासन के प्रति रुझान

अन्य राज्यों में हाल ही के उपचुनावों में अपनी चुनावी जीत से उत्तेजित होकर केंद्रीय सरकार ने आवश्यक सेवा अध्यादेश के रूप में अपने प्रतिहमले शुरू कर दिये हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून द्वारा बुनियादी अधिकारों पर किए गए हमलों को यह अध्यादेश और आगे बढ़ाता है. कानूनी आर्थिक गतिविधियों के लिए अब निवारक नजरबंदी के प्रावधान के साथ दंड और जेल भी जुड़ी है. संगठन के अधिकार पर अब खुल्लम खुल्ला हमला होता है. जनता की सतर्कता को धीरे-धीरे खत्म खरने के लिए एमर्जेंसी को अब धीरे धीरे लाया जा रहा है.

न्यायपालिका पर हमले, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली की तैयारियां, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और अब हड़तालों पर रोक— पूर्ण अधिनायकवादी शासन लागू करने के लिए इंदिरा गांधी के ये क्रमिक कदम हैं.

यह एक ऐसा प्रहार है जो सभी ट्रेड यूनियन संगठनों और राजनीतिक दलों के एकजुट प्रतिरोध की मांग करता है.

पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा की तीन सरकारों के मुख्यमंत्रियों को कानून के इस राक्षसपन की सीधी आलोचना के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं. इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने समूचे मजदूर वर्ग से प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया है.

अध्यादेश में क्या है ?

अध्यादेश के तहत केंद्रीय सरकार को किसी भी आवश्यक सेवा में हड़तालों पर रोक लगाने का अधिकार है. यह प्रतिबंध शुरू में छः महीनों के लिए हो सकता है लेकिन बाद में इसे अगले छः महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है.

"क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किसी तथ्य के रहते भी इस अध्यादेश के तहत किसी भी दोष पर किसी मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत संक्षेप में अभियोग चलाया जाएगा."

पुलिस अफसर का यहां मतलब है कोई भी पुलिसकर्मी. और तुरंत संक्षेप अभियोग का मतलब है कि वह मुकदमा जिसमें पुलिस हावी हो और दंड अवश्य मिलेगा. दंडित व्यक्ति को आराम से दो साल तक जेल में बंद किया जा सकता है क्योंकि उसे अपील करने का अधिकार प्राप्त नहीं है.

साथियो, ट्रेड यूनियन विवादों में तुरंत संक्षेप अभियोग चलाना सर्वाधिकारवादी कदम है. ब्रिटिश शासन ने भी हड़तालों को दबाने के लिए ऐसा कानून बनाने के लिए कदम उठाने के लिए कभी नहीं सोचा था. कांग्रेस (आई) सरकार अंग्रेजों से भी आगे बढ़ गई है और एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी हमारे देश में कोई मिसाल नहीं है.

हड़ताल की परिभाषा को मजदूरों के शोषण को बढ़ाने और कार्यभार को बढ़ाने की योजनाओं के मुताबिक अब ढुलमुल बना दिया गया है. अध्यादेश के तहत 'जब किसी आवश्यक सेवा को जारी रखना जरूरी हो तब ओवरटाइम काम करने से मना करना' शामिल है, और इसमें 'कोई अन्य व्यवहार जिसकी वजह से किसी आवश्यक सेवा में काम रुकता हो या इसमें पर्याप्त कमी आती हो या ऐसा होने की संभावना हो' भी शामिल है. अध्यादेश में रोक व प्रतिबंध के ऐसे मनमाने प्रावधान हैं जो मजदूरों और उनके नेताओं को पुलिस अफसरान व समरी अदालतों की दया पर ही छोड़ देते हैं.

अध्यादेश के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं में डाक, तार, टेलीफोन, रेलवे व अन्य जल तथा स्थल परिवहन सेवाएं, बंदरगाहों पर भार उतारना व चढ़ाना, हवाई अड्डों को ठीक-ठाक व चालू रखने से संबंधित सेवाएं, कर्मचारियों की सुरक्षा से संबंधित सेवाएं या अनुसूचित उद्योगों में कोई उद्योग; सरकारी संस्थानों द्वारा खाद्यान्न की खरीद, आपूर्ति, स्टोरेज, और वितरण से संबंधित सेवाएं; केंद्र शासित क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वच्छता प्रणाली, हस्पतालों आदि से संबंधित सेवाएं; बैंकिंग, तेल क्षेत्र, रिफाइनरी, टकसाल, सुरक्षा, प्रैस आदि से संबंधित सेवाएं शामिल हैं. इसमें वे दूसरी सेवाएं भी शामिल हैं जो ऐसे मामलात से संबंधित हैं जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है और वह सेवा भी शामिल है जिसके बारे में केंद्र सरकार की राय हो कि इसमें हड़ताल से किसी भी सार्वजनिक खपत की सेवाओं को चालू रखने पर असर पड़ेगा.

आवश्यक सेवा में इतनी अधिक गुंजाइश है. इसमें लगभग हर औद्योगिक गतिविधि, हर औद्योगिक संस्थान शामिल हैं और सरकार ने ऐसी शक्तियां ग्रहण करली हैं जिनसे जिस किसी भी संस्थान में यह चाहे हड़तालों पर रोक व प्रतिबंध लगा सकती है.

कानून के राक्षसपन की सार्वभौमिक निंदा हुई है. केवल बड़े पूंजीपतियों और कांग्रेस (आई) के दुमछल्लों ने ही, जिनका जनता के साथ विश्वाघात करने में ही पालन पोषण और ट्रेनिंग हुई है, इसका स्वागत किया है. ट्रेड यूनियन, आंदोलन पर और शोषण के खिलाफ संघर्ष के मजदूरों के बुनियादी अधिकार पर इतना बड़ा हमला श्रम संबंध में घृणित एमर्जेंसी की घोषणा के अलावा और कुछ नहीं है. कौनसे ऐसे वाकयात थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पिछला साल हड़तालों से भरा साल था. दूसरी ओर 1980 में हड़तालों के आंकड़े कम हुए थे और औद्योगिक संबंध व शांति पर सरकारी प्रवक्ता संतोष का इजहार करते थे. यह कदम "गैरजिम्मेदाराना बिना नोटिस अचानक हड़तालों" के कारण नहीं है. तब शासक पार्टी के लिए इसकी क्या सख्त जरूरत थी ?

इस राक्षसी हमले के कारण

मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट के बोझ को मजदूर वर्ग पर थोपने की सख्त जरूरत के कारण कांग्रेस (आई) सरकार ने पहले ही छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में अपनी वेतनजाम की नीति की घोषणा की है. लेकिन यह काफी नहीं है. इसे मौजूदा वेतन पर सीधे हमले की जरूरत है. इसलिए इसने पहले समझौतों से पीछे हटना शुरू कर दिया है—लोको कर्मचारियों के साथ समझौता तोड़ दिया गया और उन्हें हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ समझौता तोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा. बंगलौर

हड़ताल, लोको हड़ताल पर जबरदस्त दमन किया गया. संचार मंत्री श्री स्टीफन डाक व तार कर्मचारियों को कुछ राहत देने के अपने वादे से मुकर गए. और फिर कीमतों में वृद्धि से जीवन मूल्य सूचकांक में वृद्धि होती है और इससे महंगाई भत्ते का सवाल पैदा होता है. सरकार का वेतन बिल बढ़ता जाता है और सरकार महंगाई भत्ते की सहमत दर से पीछे हटना चाहती है. कोयला, सरकारी विभागों आदि और अन्य उद्योगों में भारी छटनी करने की भी योजनाएं हैं.

वेतन पर, महंगाई भत्ते पर, मौजूदा जीवन स्तर पर और रोजगार पर सीधे हमलों की योजनाएं बनाई जा रही हैं. लेकिन सरकार जानती है कि इसे संगठित मजदूरों और कर्मचारियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वे अवश्य ही इन हमलों का विरोध करेंगे.

उनके कानूनी आंदोलन को चकनाचूर करने के लिए और सरकार व निजी मालिकान को मजदूरों पर मनमानी कार्य सेवा शर्तें थोपने का अधिकार देने के लिए यह अध्यादेश लागू किया गया है. इस अध्यादेश का वही उद्देश्य है जैसा कि हाल ही का जीवन बीमा निगम कानून सभी सामूहिक सौदेबाजी का खात्मा करके पूरा करता है.

अध्यादेश समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन को पुलिस की दया पर छोड़ देता है, मजदूरों के संघर्षों को कानून व व्यवस्था का सवाल बना देता है और बेहतर वेतन के लिए संघर्षों को तथा सरकार की नीतियों से वेतन में कमी का विरोध करने को फौजदारी का मामला बना देता है.

इन हमलों का प्रतिरोध करो

सभी ट्रेड यूनियन केंद्रों ने इसकी निंदा की है. समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन को एकजुट होकर इसका विरोध करने के लिए तथा सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए अभियान शुरू कर देना चाहिए. सभी राजनीतिक दलों को चाहिए की अपनी ताकत के मुताबिक संसद में इस काले कानून का विरोध करें और उनके विरोध को बाहर से भारी जन समूह द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए.

यही समय है कि सभी ट्रेड यूनियन केंद्र और फेडरेशनें एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केंद्रों को, वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस और अन्यों से अपील करें कि मजदूरों के इस अधिकारों के दमन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें.

यह अध्यादेश इंदिरा गांधी की आर्थिक स्थिति से निबटने में जबरदस्त छटपटाहट, मुद्रास्फीति तथा कीमतों को नियंत्रित करने में उसकी अद्‌भुत असफलता को दर्शाता है. इसके बाद असंगठित क्षेत्र पर हमले होना लाजिमी है. किसानों के लिए लाभकारी कीमतों के प्रति सरकार के विरोध से चारों ओर आंदोलन हुए हैं, पुलिस गोलीबारी और जीवन हानि हुई है. काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसने ग्रामीण इलाकों में एक छोटे से तबके को कुछ आंशिक राहत दी थी, अब रुक गया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अब धाराशयी होने का डर है. इस पृष्ठभूमि में विश्व बैंक खाद्य पदार्थों पर से राहतें हटाने की मांग कर रहा है. इस प्रकार सभी कमजोर तबकों पर हमलों का आधार बन चुका है ताकि उनके कंधों पर मुद्रास्फीति व ऊंची कीमतों का बोझ लाद दिया जाए. इसके साथ ही आगे नागरिक स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों पर कठोर हमले किए जाएंगे.

यह दिलचस्प बात है कि मौजूदा अध्यादेश यह बहाना नहीं करता है कि गिरफ्तारी की मनमानी शक्तियां उच्च अफसरान को दे दी गयी हैं. आम तौर पर हर अध्यादेश में, जो केवल किसी खास औहदे के अफसरान को ही ऐसी शक्तियां देते हैं, यही बहाना होता है. मौजूदा कदम के तहत कोई भी पुलिस सिपाही, कोई भी व्यक्ति जिसे कानूनन पुलिस अफसर कहा जा सकता है, किसी भी मजदूर को या ट्रेड यूनियन नेता को तुरंत संक्षिप्त अभियोग में घसीट सकता है और जल्दी ही उसे जेल भिजवा सकता है.

निष्पक्षता के चेहरे के टुकड़े-टुकड़े

निष्पक्षता को दर्शाने के लिए आम तौर पर ऐसा हर कदम हड़तालों के साथ-साथ तालाबंदियों पर भी रोक लगाता है. लेकिन यह अभागा अध्यादेश इस निष्पक्षता को दिखाना भूल जाता है. और प्रधानमंत्री बिना पलक झपकाए सफेद झूठ बोल जाती हैं कि अध्यादेश के तहत तालाबंदियों पर भी रोक लगाई गयी है.

साख में इस कमी के लिए, और 'निष्पक्षता' का चेहरा देने में नाकामयाबी के लिए कानून मंत्रालय में किसी न किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.

साथियो, अध्यादेश को उचित ठहराने के लिए किस कदर बदजबान प्रचार किया जा रहा है गृह मंत्रालय के निम्नलिखित नोट से देखा जा सकता है. "देश में औद्योगिक वातावरण का मुख्य रूप से राजनीतिक ट्रेड यूनियन आंदोलन चरितार्थ होना जारी है जिसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भारी अंतः यूनियन होड़ है और यह कमी ट्रेड यूनियन लायलटी और अनुशासन को भी पार कर जाती है." एक बार फिर ट्रेड यूनियन प्रतिद्वंदिता का बहाना दिया जा रहा है और वह भी ऐसे समय जब सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन और फेडरेशन सरकार की श्रमविरोधी नीतियों और आवश्यक सेवा अध्यादेश का प्रतिरोध करने के लिए एकजुट हैं. और राजनीतिक इरादे के बारे में एक बार फिर वही दिवालिया तर्क. गृह मंत्रालय को यह नहीं मालूम कि देश में मुद्रास्फीति दशकों में है, कि हर महीने मजदूरों का जीवन मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है. ऐसा लगता है कि यह वित्त मंत्रालय के इस दावे को स्वीकार करती है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है. हड़तालें इसलिए राजनीतिक दलों द्वारा मजदूरों के विक्टिमाइजेशन के कारण होती हैं. गृहमंत्रालय का नोट आगे कहता है "ट्रेड यूनियन तौर-तरीकों के प्रति लापरवाही और उनका बिलकुल न होना तथा श्रमिकों द्वारा व कभी-कभी कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक कार्यवाही सामान्य संबंधों के विकास के खिलाफ आंदोलित होता है. ऐसी हालत जो अविश्वास और अनुशासनहीनता का वातावरण पैदा करती है, भारी मात्रा में औद्योगिक उत्पादन को कम कर देती है." श्रम और ट्रेड यूनियन आंदोलन के खिलाफ इस झूठे आरोप के अलावा सच से दूर और कुछ नहीं हो सकता. क्या

सरकार ने यूनियनों में प्रतिद्वंदित। और श्रम-अनुशासनहीनता के इस आरोप पर विचार करने के लिए त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया ? उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस आरोप के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे.

गृह मंत्रालय के नोट ने यह दावा किया है कि लोको, जीवन बीमा निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों पर दमन से लाभ पहुंचा है. नोट में कहा गया है कि "सार्वजनिक उद्यमों के मजदूरों, लोको कर्मचारियों और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की हड़तालों के साथ सख्ती से पेश आने ने केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के दिमागों में यह पक्की भावना पैदा कर दी है कि सरकार श्रम स्थिति के साथ दृढ़ता से बर्ताव करेगी." इसलिए, मजदूरों के असंतोष के साथ और दृढ़ हो जाओ.

मजदूर वर्ग का हड़ताली प्रतिरोध 1980 के निचले स्तर से हाल ही के महीनों में बढ़ना शुरू जरूर हुआ है. औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1980-81 में 12.6 प्रतिशत वृद्धि होने पर गृह मंत्रालय ने क्या उम्मीद की थी ? अप्रैल 1981 तक यह धोखेभरा सूचकांक 1979-80 में 373 की तुलना में 427 था. इसके अलावा लोगों को काले बाजार में काफी ऊंचे दामों पर खरीद करनी पड़ती थी. हड़ताली लहर का पनपना लाजमी था. लेकिन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की बजाए सरकार मुद्रास्फीति के खिलाफ मजदूरों के प्रतिरोध पर रोक लगाती है.

भ्रष्ट व अयोग्य प्रबंधन को संरक्षण

साथ ही यह स्पष्ट है कि 1978 या 1979 की तुलना में हड़-ताली प्रतिरोध अभी काफी कम है. हड़तालों की संख्या 1978 में 2,117 से गिरकर 1979 में 1,338 और 1980 में 899 हो गयी. 1981 के लिए मार्च तक यह संख्या 255 है.

साफ जाहिर है कि गृह मंत्रालय के अफसरान भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण का अध्ययन नहीं करते हैं नहीं तो वे यह जान जाते कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रबंधकों ने उत्पादन का विनाश किया है. औद्योगिक उत्पादन के लिए बिजली की पैदावार बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन फिर भी यह पता चलता है कि इस्तेमाल की गयी क्षमता 1976-77 में 55.3 प्रतिशत से गिरकर 1979-80 में 45 4 प्रतिशत हो गई. आर्थिक सर्वेक्षण, जो इस संबंध में श्रम का कभी-कभी उल्लेख करता है इस गिरावट के लिए दोषी मुख्य रूप से दोषी अयोग्य और भ्रष्ट प्रबंधन को ठहराता है. इस्तेमाल की गई क्षमता में इस गिरावट का उल्लेख करते हुए सर्वेक्षण में कहा गया है कि "प्रबंधन की खामियां नाकाफी निवारक मरम्मत और ब्वायलरों, टरबाइनों व जनरेटरों जैसे मुख्य यंत्रों की मरम्मत की अनुसूचि का पालन करने में बार-बार असफलताओं में प्रदर्शित होती हैं जिसका परिणाम अनियोजन होता है. औद्योगिक अनुशासन की कमी और श्रम कुशलता की नाकाफी ट्रेनिंग इन हालात को और भी गंभीर बनाते हैं. यंत्रों की क्वालिटी और खासतौर से सहायक यंत्र व उपकरण के बारे में भी कुछ शिकायतें हैं. सहायक यंत्र और उपकरण प्लांट कार्य को चालू रखने के लिए खासतौर से महत्वपूर्ण हैं. अतिरिक्त पुर्जों की अपर्याप्त उपलब्धी भी मरम्मत आदि और प्लांट को चालू करने में ज्यादा समय लगाती है. अंत में कोयले की क्वालिटी के बारे में शिकायतें हाल ही के वर्षों काफी बढ़ी हैं. राख की मात्रा बढ़ रही है और कोयला सप्लाई में एब्रेसिव्ज भी मिलने हैं. क्योंकि थर्मल प्लांट यंत्र बेहतर या भिन्न कार्यविधि के लिए बनाया जाता है, कोयले की क्वालिटी में भिन्नता और इसमें धीरे-धीरे गिरावट उनकी दक्षता में कमी के लिए काफी जिम्मेदार है." कोई केवल इतना कह सकता है कि कोयला उद्योग एक राष्ट्रीयकृत उद्योग है. साथियो, इस तरह से वर्ग प्रचार किया जाता है और किस हद तक श्री जैल सिंह के तहत गृह मंत्रालय सच्चाई को दबाने से बाज नहीं आता.

बढ़ते दमन

असलियत यह है कि मजदूरों द्वारा हासिल किए गए लाभों को वापस लेने के नजरिये से इंदिरा सरकार मजदूरों के जीवन स्तर पर कई हमलों की योजना बनाती रही है. इससे पहले वेतनजाम की नीति लागू की गई.

इस नीति को लागू करते हुए इंदिरा सरकार का वित्त विभाग विभिन्न मंत्रालयों पर यह दबाव डालता रहा कि वे समझौता वार्ताओं में दी गई सुविधाओं से पीछे हट जाएं.

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कोयला अधिकारियों के बीच हुए समझौते का सम्मान करने की बजाए, आकस्मिक छुट्टी, छुट्टी यात्रा भत्ता, रविवार वेतनों और 1980-81 में चार दिनों की आकस्मिक छुट्टी को जारी रखने के संबंध में दी गई सुविधाओं पर वित्त मंत्रालय कोयला अधिकारियों पर नाक-भौंहे चढ़ाता है और अधिकारियों से कहता है कि अपने आगामी सभी सुविधा प्रस्तावों को सार्वजनिक उद्यमों के ब्यूरों के पास भेजे.

इसी विभाग ने संचार मंत्री पर भी नाक-भौंहे चढ़ाई क्योंकि उसने डाक तार कर्मचारियों के लिए दो पदोन्नति जैसी कुछ सुविधाओं को मान लिया था और मंत्री को अपने वादे से मुकर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया है.

इसके अलावा एक रुपया 30 पैसे प्रति उपभोक्ता जीवन मूल्य सूचकांक में एक बिंदु वृद्धि की दर को मनमाने तौर पर थोपने की कोशिशें की जा रही हैं.

मजदूरवर्ग पर किये जाने वाले हमले सरकार व मालिकों की दृढ़ निश्चयी कोशिशों को दर्शाते हैं जिससे बोनस के विलंबित मजदूरी के सिद्धांत को नकारा व खत्म किया जा सके. मजदूरों की यह एक बड़ी सैद्धांतिक जीत थी और अब इसे नकारने के प्रयत्न हो रहे हैं. उत्पादकता से जुड़े बोनस को मजदूरों के नए-नए हिस्सों से मनवाकर बोनस सिद्धांत को तहस-नहस किया जा रहा है. इस दिशा में पहला विश्वासघात तब हुआ जब रेलवे मजदूरों के प्रतिनिधि संगठनों, आल इंडिया रेलवेमैंज फेड-रेशन तथा नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैंज ने उत्पादकता से जुड़े बोनस को स्वीकार कर लिया. इसके बाद केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के कई संगठन इस जाल में फंस गए.

मजदूर वर्ग पर होने वाले हमले का दूसरा प्रहार बोनस मिलने के लिए वेतन की सीमा तय कर देना है. इसका तीसरा प्रहार महंगाई भत्ते पर कई प्रकार के अंकुश लगाने के इरादे हैं.

महंगाई भत्ते की मनमानी दर तय करना, महंगाई भत्ते पर सीमा थोप देना तथा एक निश्चित वेतन से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सुविधा से वंचित कर देना शामिल है. मजदूर वर्ग पर किये जाने वाले हमले का चौथा व अंतिम उदाहरण मजदूरी में किसी भी प्रकार की वृद्धि का विरोध करना है. इन नापाक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार एक के बाद एक समझौते को तोड़ रही है.

छठी पंचवर्षीय योजना

छठी पंचवर्षीय योजना में निहित आय व मजदूरी नीति सरकार के इरादों को स्पष्ट कर देती है. इस नीति से जाहिर होता है कि योजनाशास्त्री पूंजीपतियों व मजदूरों तथा भूस्वामियों व किसानों के बीच आमदनी के अंतर को कम नहीं करना चाहते हैं. वे एकाधिकारी घरानों व करोड़पतियों के मुनाफों को बचाने में जुटे हैं.

किंतु सरकार मजदूर व मजदूर के बीच मजदूरी के अंतर को कम करने के लिए अवश्य तत्पर दीख पड़ती है. यह अंतर मजदूरी को बढ़ाने के बजाए अधिक मजदूरी कमाने वाले मजदूर की मजदूरी घटाकर कम किया जाता है. इसके अतिरिक्त सरकार के निर्देश हैं कि मजदूरी तब तक न बढ़ाई जाए जब तक मजदूर अधिक उत्पादन करके न दिखाएं. दूसरे शब्दों में मजदूरी में वृद्धि को भी उत्पादकता से जोड़ा जा रहा है. हम सब जानते हैं कि मजदूरी के वर्तमान स्तर उत्पादकता के स्तर से नीचे हैं व हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते. किंतु योजना बनाने वालों की मांग है—जब तक मजदूर अधिक शोषण को स्वीकार नहीं करते तब तक उन्हें अधिक मजदूरी नहीं मिलेगी. इसके अतिरिक्त यदि मजदूर अधिक उत्पादन देता है तब भी उसकी मजदूरी तभी बढ़ाई जायगी जब सारी अर्थव्यवस्था उत्पादकता में वृद्धि दिखाएगी. अधिक उत्पादन की मांग के साथ यह वेतनजाम की नीति है. साथियो, इन लगातार हमलों का सामना हमें बढ़ती एकता के साथ करना होगा और इसी का आह्वान सी. आई. टी. यू. कर रही है. ये हमले जारी रहेंगे क्योंकि हमारे देश की पूंजीपति-भूस्वामी अर्थव्यवस्था संकट में है और हर चीज अस्त-व्यस्त है. बुर्जुवा-भूपति सरकार संकट का बोझ आम आदमी व मजदूर वर्ग के कंधों पर लादना चाहती है और इसलिए यह दमन के साथ-साथ नए-नए हमलों की तैयारियां कर रही है.

योजना बनाने वालों की वर्गनीति

छठी पंचवर्षीय योजना जनता को बली का बकरा बनाकर पूंजीपति-वर्ग के हितों को पनाह देती है और आम जनता की आय और जीवनयापन की स्थितियों पर बड़े हमलों पर आधारित है.

किसानों को कुछ न देते हुए—न भूमि और न ही उसके उत्पाद के लिए लाभकारी दाम, खेतिहर मजदूरों के हालात में थोड़े बहुत सुधार के लिए कुछ शोर मचाते हुए और मजदूरों व कर्मचारियों के वेतनों पर हमला करते हुए, उत्पादन के नए लक्ष्यों के नाम पर यह योजना जनता पर भारी कराधान लादती है. इसके तहत मुद्रास्फीति और ऊंची कीमतें बढ़ती ही रहेंगी क्योंकि इसमें 5,000 करोड़ रुपये का घाटे के बजट का प्रावधान है. यह आंकड़ा योजना के काल के अंत तक दोगुना हो जाएगा और कीमतों में लगातार वृद्धि होती रहेगी.

योजना 21 हजार 302 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रसाधन जुटाने का आह्वान करती है. इसमें से 5 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त कराधान ले आएंगे जिसमें मुख्यता अप्रत्यक्ष कर होंगे जिनका भुगतान आम आदमी को करना होता है.

वेतन बोर्डों को **थोपना**

इस नीति को लागू करने के लिए वेतन बोर्ड की बदनाम पद्धति को फिर से स्थापित करने का सरकार प्रस्ताव रखती है. इसकी घोषणा मई महीने में मालिकान के अखिल भारतीय संगठन को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने की थी. उन्होंने कहा "एक राय यह है कि वेतन बोर्ड की पद्धति, जो एक निर्णायक के तहत एक अच्छे ढंग से सामूहिक सौदेबाजी की मशीनरी प्रदान करती है, को हर उद्योग में वैज्ञानिक और तर्कवादी ढंग से वेतन ढांचा तय करने के लिए जारी की जाए. पिछले समय में स्थापित वेतन बोर्डों का हमारा अनुभव उत्साहवर्द्धक नहीं है. फिर भी, सरकार इस प्रणाली को एक और मौका देना चाहती है. इसलिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव है जिससे सरकार कानूनन वेतन बोर्डों की जरूरी शक्तियों और अधिकारों के साथ स्थापना करने योग्य हो जाएगी".

ट्रेड यूनियन आंदोलन ने वेतन बोर्डों को इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वे ज्यादा समय लेते थे. और देर करने वाली मशीनरी थे. कुछ विवादों में तो उन्होंने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में दस साल लगा दिए थे. वेतन बोर्ड के तहत मजदूर मालिकान द्वारा पेश की गई बोनस बैलेंस शीट की दया पर रहते थे और बोर्ड उन्हें विश्वसनीय मानते थे. इस प्रकार मजदूरों के लिए अपने पक्ष में फैसला पाने का कोई मौका नहीं था और यदि सिफारिशें मजदूरों के पक्ष में चली भी जाएं तो सरकार के पास अंतिम फैसला करने का हमेशा अधिकार होता है. विवादों को लंबा खींचने और मजदूरों को थमा देने वाली इस बदनाम पद्धति को हड़तालों पर रोक के साथ-साथ पुनः स्थापित किया जा रहा है.

साथियो, क्या आप इस पर विश्वास करेंगे कि एक औद्योगिक ट्रिब्यूनल ने जो वेतन बोर्ड के भतीजे के समान है अपना फैसला देने में 20 साल लगाए. मैं 20 जून 1981 के आई पी ए से उद्धरण देना चाहूंगा "न्याय में देरी न्याय की मनाही का एक चिरसम्मत उदाहरण है पंजाब स्पिनिंग मिल्स, छेर्ता के 202 कर्मचारी जिनकी सेवाएं 3 दिसंबर 1950 को खत्म कर दी गई थीं और पंजाब के औद्योगिक ट्रिब्यूनल ने उनके मामले में अपना फैसला दिया जो 19 मई 1981 के पंजाब सरकार के घोषणापत्र में प्रकाशित हुआ—इन बीस सालों में 5 कर्मचारी मर गए, 81 का कुछ पता नहीं है, जवान लड़के बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े अब मृत्यु शैय्या पर हैं".

ट्रेड यूनियन एकता के लिए संघर्ष करो

ट्रेड यूनियन एकता को पुनर्स्थापित करने के लिए सी. आई. टी. यू. पिछले डेढ़ सालों से कार्यरत है. अन्य संगठनों को निराशा से निकलने में कुछ समय लगा और हम कुछ समय तक अधिक प्रगति नहीं कर पाए. बंगलोर हड़ताल और 11 मार्च की कार्यवाही जिसका मजदूरों ने भारी तादाद में समर्थन किया हमारे एकता बनाने के प्रयासों के ही परिणाम थे.

अन्य नीति संबंधी मामलों में कई केंद्रीय संगठनों में विचार-विमर्श जारी थे. वे यूनियनों को मान्यता—जांच और मतदान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और कोयला, इस्पात आदि में औद्योगिक समझौतावार्ताओं में मतैक्य से संबंधित थे.

बंबई में जून सम्मेलन एक दूसरे के करीब आने की प्रक्रिया का ही परिणाम था और इसके आह्वान को आगे बढ़ाना होगा. हमारी सभी यूनियनों को संसद के लिए कूच और सभी उद्योगों में एक दिन की हड़ताल के लिए गंभीरता से तैयारियां करनी हैं.

साथियो, सहमत फैसलों के आधार पर हमें एक बार फिर सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों के एक महासंघ के अपने आह्वान को दोहराना चाहिए. सभी ट्रेड यूनियन केंद्रों के करीबी सहयोग और समन्वय से कम कोई भी शासक पार्टी—बुर्जुवा-भूपति सरकार—की दमनकारी मशीनरी के खिलाफ संगठित मजदूर वर्ग की पूरी ताकत को खड़ा नहीं कर सकता.

श्रमिकों का बर्बर दमन

साथियो, भारत के ज्यादा से ज्यादा भाग में प्रशासन के धराशयी होने से, अर्थव्यवस्था संकट के भारी चक्र में होने से क्या यह आश्चर्य की बात है कि सभी श्रम कानून बेकार हो गए हैं या उनका उल्लंघन किया जा रहा है ? लाखों बंधुआ मजदूरों का ईंटों के भट्टों पर और खेतों में निर्दयता से शोषण किया जा रहा है; ठेका मजदूरों की संख्या जो कुछ केसों में बंधुआ मजदूरों की भांति ही है, सरकार की इस तरह के श्रम को खत्म करने की घोषणाओं के बावजूद बढ़ती ही जा रही है.

निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गये ऐसे मजदूरों की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. रोजगार देने वाले केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा लगाये गए ऐसे मजदूरों की संख्या 3.77 लाख है. रेलवे में 2.37 लाख, डाक व तार में 70,000, हाउसिंग मंत्रालय में 14,000, सुरक्षा में 14,000 और सार्वजनिक उद्यमों के ब्यूरों में 36,000 ऐसे मजदूर हैं.

केंद्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा मजदूर वर्ग के इस हिस्से का सबसे अधिक बर्बर शोषण किया जाता है, और ट्रेड यूनियन आंदोलन को उनके हितों के लिए संघर्ष करना चाहिए तथा उन्हें बंधुआ स्थिति से छुटकारा दिलाना चाहिए.

साथियो, सुरक्षा कानून धराशयी हो गया है. कल्याणकारी कदम छिन्न-भिन्न हो गए हैं. कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड मालिकान द्वारा हड़पा जा रहा है लेकिन सरकार कठोर कदम उठाने से इंकार करती है.

ई. पी. एफ. की समीक्षा कमेटी, जो सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी, ने पाया कि छूट प्राप्त और बगैर छूट वाले संस्थानों का कुल बकाया 57.42 करोड़ रुपये पहुंच गया है. और यह तब है जब कमेटी कुल बकाया का अनुमान नहीं लगा पाई है क्योंकि ई. पी. एफ. संस्थान का हिसाब-किताब कैश के आधार पर लगाया गया था जबकि छानबीन के दौरान विचाराधीन या जिन पर प्रगति हो रही है उन हिसाब किताबों की राशि का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है.

संगठन की स्वतंत्रता पर हमला

एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कनवेंशनों का भारत सरकार उल्लंघन करती आई है. विदेशों से प्रतिवाद का सर्टिफिकेट लेने के लिए यह कनवेंशनों पर हस्ताक्षर करती है लेकिन उनके तोड़ने में यह थोड़ा भी समय नहीं लेती. यह संगठन की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है. ट्रेड यूनियनों के नेताओं को विक्टिमाइज करके यह स्वयं अनुचित श्रम व्यवहार में ग्रस्त होती है और निजी मालिकान को भी ऐसा करने की इजाजत देती है. इसमें कोई आश्चर्य नही कि श्रम मंत्री तिवारी ने हाल ही में आई एल ओ की कनवेंशनों को तोड़ने की स्वतंत्रता मांगी है. उसने यह तर्क अविकसित देशों की ओर से दिया.

आर्थिक संकट

ये घटनाएं आज की गहरी आर्थिक स्थिति के भाग ही हैं. अनियंत्रित मुद्रास्फीति, ऊंची कीमतों के द्वारा जनता के जीवन-यापन के स्तर में कमी, टैक्सों का अधिक बोझ, सीमित मंडी, औद्योगिक क्षमता के इस्तेमाल में अक्षमता, और लगातार बढ़ती बेरोजगारी संकट के द्योतक हैं. शासक पार्टी का इस से बाहर निकलने का तरीका किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी दाम देने से मना करके और सभी तबकों—मजदूरों, कर्मचारियों, खेतिहर मजदूरों आदि की आय पर एक आम प्रहार करके जबर्दस्त शोषण पर आधारित है.

सरकार का घाटे का आर्थिक प्रावधान बजट के प्रावधान के सौ प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ गया है. बजट के बाद देश में दो बार टैक्स लगा दिए गए हैं और पैट्रोल, डीजल, खादों के दाम बढ़ा दिए गए हैं—और नवीनमत वृद्धि उपभोक्ताओं से एक हजार करोड़ रुपये वसूल करेगी. इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च 1980 में 373 से बढ़कर दिसंबर 1980 में 408 और मई 1981 में 433 हो गया. कीमतों में निर्लज्ज वृद्धि से जनता पर थोपे गए उत्पीड़न की व्याख्या नहीं की जा सकती. मजदूर वर्ग और कर्मचारी अपनी दैनिक जरूरियात को पूरा करना असंभव पा रहे हैं. तेल, वनस्पतियों, दूध जैसी जीवन की जरूरी चीजों कीं आसमान छूती कीमतों ने राशन की दुकानों पर खाद्यान्न के उपलब्ध न होने ने उनके जीवन स्तर को निरर्थक बना दिया है. और इसके साथ जोड़ दीजिए विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दवाओं की प्रतिबंधित कीमतों में वृद्धि, इन कंपनियों को कांग्रेस (आई) सरकार जनता के जीवन से खिलवाड़ करने देती है, काला बाजार और कालेजों व विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए लोगों को जो चंदा देना पड़ता है—इस प्रकार हर जगह कड़ुवाहट हा है.

अगर यह उन लोगों की स्थिति है जिनके पास नियमित रोजगार है और जो संगठित उद्योगों में हैं, तो कोई उन लाखों लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है जो शहरों में बिना नियमित रोजगार के हैं और उन असंगठित उद्योगों में जो किसी कानून के तहत नहीं आते, में काम करते हैं. क्या मैं यह कहूं कि संगठित मजदूर वर्ग इस तबके पर थोपी गई इस दयनीय स्थिति के प्रति लापरवाह हैं. इनकी मांगें शायद ही हमारी यूनियनों द्वारा उठाई जाती हैं. और अगर यह लापरवाही और उदासीनता नहीं होती तो महाराष्ट्र की अंतुले सरकार बंबई में 'पटड़ी वालों' को गैरकानूनी व अमानवीय ढंग से हटाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी.

अंत में, साथियो, मुद्रास्फीति व ऊंची कीमतों ने छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों को बिलकुल बरबाद कर दिया है. किसान तो दुगुना तबाह हुआ है. उसे उसकी उत्पाद के लिए लाभकारी दाम नहीं दिए जाते और उसे जो कुछ खरीदना होता है उसके लिए ऊंचे दाम देने होते हैं.

समूची जनता के लिए ऊंची कीमतों का सवाल और मुद्रा-स्फीति के खिलाफ लड़ाई एक गहन समस्या बन गई है. यह उचित ही है कि सी आई टी यू तथा बंबई सम्मेलन ने इसको जाना है और ऊंची कीमतों के खिलाफ उनके संघर्ष ने समूची जनता की मांगों को उठाया है जिसमें किसानों के लिए लाभकारी दाम और उपभोक्ताओं के लिए चीजों के दामों में वृद्धि न करने की मांगें भी शामिल हैं. संकट से उत्पन्न ऊंची कीमतों के खिलाफ संघर्ष जीवन मूल्य सूचकांक और महंगाई भत्ते की दरों के लिए संघर्ष तक ही सीमित नहीं रह सकता.

उद्योग संकट

साथियो, पूंजीवादी रास्ते के तहत समूची औद्योगिक क्षमता को इस्तेमाल करने में अयोग्यता की ओर मैंने पहले ही इशारा किया है.

छठी योजना के दस्तावेज के मुताबिक 1979-80 में इंटीग्रेटिड इस्पात प्लांट अपनी क्षमता का केवल 69.2 प्रतिशत ही इस्तेमाल कर पाए ; अल्यूमीनियम उद्योग 58.2 प्रतिशत खाद ; (एन) स्थायीकृत प्लाट 75.6 प्रतिशत, अखबारी कागज 68.2 प्रतिशत आदि. इसके ऊपर अपने विचार देते हुए छठी योजना का दस्तावेज कहता है कि "जैसा कि सारिणी से साफ जाहिर है कुछ उद्योगों में क्षमता के इस्तेमाल की प्रवृत्तियां हतोत्साही हैं. कृषी क्षेत्र में भी यही सत्य है, सिंचाई की पूरी क्षमता को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. देश के अनेक हिस्सों में प्रति एकड़ उपज स्तर उस स्तर की तुलना में काफी कम है जो मौजूदा तकनीकी की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है."

कुछ केसों में क्षमता का कम इस्तेमाल जानबूझ कर कीमतें बढ़ाने के लिए होता होगा. कुछ केसों में निजी उत्पादक अपने ब्यौरे में कम उत्पादन दिखाते होंगे ताकि गुप्त रूप से उन्हें मंडी में बेचा जा सके.

बुनियादी कारण है आर्थिक संकट और 'मुनाफे' के साथ उत्पादन क्षमता के इस्तेमाल में अयोग्यता. स्वाभाविक है कि उद्योग नुकसानदायी बनेंगे.

भारत के रिजर्व बैंक के अनुसार जून 1979 के अंत तक 345 बड़े बीमार उद्योग थे जिनका बैंक उधार 1,011.2 करोड़ रुपये था. यह राशि भारी उद्योग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में कुल लागत (इनवेस्टमैंट) से ज्यादा है. आर बी आई द्वारा व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त ब्यौरों के आधार पर लघु क्षेत्र में बीमार यूनिटों की संख्या 20,326 थी जिसमें 231 करोड़ रुपये की बैंकों की राशि लगी है. 1980 के साल में चार औद्योगिक संस्थानों का अधिग्रहण करना पड़ा. लघु और बड़ उद्योगों में औद्योगिक बीमारी का होना गंभीर चिंता का विषय है. जुलाई 1980 में सरकार द्वारा निर्मित औद्योगिक नीति बयान में, जो कुप्रबंधन व बीमारी को भी नोट करता है, साफ शब्दों में कही गयी है. (आर्थिक सर्वेक्षण 1980-81)

इस बीमारी की जो सैंकड़ों करोड़ों रुपयों को बांध देती है कीमत दसियों हजार मजदूरों की नौकरियां व वेतन छीन कर चुकाई जाती है तथा यह हजारों मजदूर वर्ग परिवारों पर अवर्णनीय कठिनाइयां ढाती हैं.

इस्तेमाल न की गई क्षमता के 1980-81 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. लेकिन 1980-81 के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक पर ध्यान देने से लगता है कि हालात में सुधार नहीं हुआ है. यह 1979-80 में 148.6 की तुलना में पिछले साल 153.9 था जो 4.4 प्रतिशत वृद्धि के समान है और इस वृद्धि की ही कीमत लोगों के लिए काफी ज्यादा है.

साथियो आर्थिक सर्वेक्षण और वित्त मंत्री ने नई कंपनियों के खोलने की लागत की मंजूरी के आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था में सुधार का वादा किया है.

नई कंपनियों को खोलने की लागत की मंजूरी, जो 1978-79 में 417.63 करोड़ रुपयों से घटकर 1979-80 में 378.63 करोड़ रुपये हो गई, 1980-81 के पहले दो त्रिमासों में बढ़ी. 1980-81 के तीन त्रिमासों में नई कंपनियों को खोलने की लागत की मंजूरी 1979-80 के उसी दौरान की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो गई.

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छूट

लेकिन सर्वेक्षण यह नोट करने में नाकामयाब रहता है कि साल में सहयोगों को दी गई अनुमति की संख्या 1961 में 403 की पिछली हद को पार करते हुए 596 हो गई जो एक नया रिकार्ड है. विदेशी सहयोग को अनुमतियां और साथ ही विदेशी पूंजी की भागीदारी 1980 में 1979 की तुलना में दोगुनी हो गई. पिछले साल की तरह ज्यादातर सहयोग अनुमतियां तीन देशों के साथ दी गई हैं जिनके नाम हैं पश्चिमी जर्मनी, अमरीका और यू. के. (कामर्स 11 अप्रैल).

यह तेजी शायद इसलिए थी कि हाल ही के सरकारी फैसलों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी पूंजी को काफी छूट दी गई हैं.

यह ऐसे वक्त किया गया जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां शेयर कम

करने के सरकारी निदेशों का उल्लंघन कर रहीं थीं. दवा और दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने शेयर को 40 प्रतिशत तक कम करने के निर्देश का विरोध किया है. उनके प्रतिरोध से लगता है एफ ई आर ए (फेरा) के नियमों का उल्लंघन करने की और अपने शेयर को 74 प्रतिशत बनाए रखने की इस बहाने से कि वे काफी विकसित तकनीकी का सहभाग कर रहे हैं या वे अपने उत्पादन के अधिकतम भाग का निर्यात कर रहे हैं, आजादी प्राप्त कर ली है. वे इतने शक्तिशाली हैं कि न तो जनता सरकार और न ही इंदिरा सरकार दवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने की हाथी कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की हिम्मत नहीं कर सकी. बढ़ता विदेशी सहयोग व निवेश और उनको दी गई सुविधाएं विश्व बैंक के दबाव कि यदि बैंक की सहायता को जारी रखना है तो निजी विदेशी स्रोतों का अधिक इस्तेमाल करना होगा, से असंबंधित नहीं है.

संकट ग्रस्त अर्थव्यवस्था के एक दूसरे पहलू को और इसकी निजी विदेशी पूंजी, जो संकट को और तेज करती है, की बढ़ती जरूरत को यह बेनकाब करता है.

साथियो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती घुसपैठ से पैदा होने वाले खतरे को हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन ने अच्छी तरह से नहीं समझा है. वे हमारे देश पर हावी होने व अधीन करने के लिए आते हैं. वे शोषण के लिए लाभों की मांग करते हैं—सुविधाओं, कल्याणकारी कदमों, ट्रेड यूनियन स्वतंत्रता को वापस लेने की मांग करते हैं और अंततः दमन करते हैं.

देश की आर्थिक स्वतंत्रता और अपनी जीविका की रक्षा करने का कर्त्तव्य मजदूरों के कंधों पर है. हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष को अपने दैनिक संघर्ष का हिस्सा मजदूर वर्ग को आगामी खतरों से सचेत करके बनाना है. हमें विदेशी शोसकों को दी गई सभी सुविधाओं का लगातार प्रतिरोध करना है और अन्य संगठनों के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग करनी है. यह बहुत ही हर्ष की बात है कि बंबई सम्मेलन ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बिल्कुल एकमत का इजहार किया है.

विदेशी सहायता पर निर्भरता

अर्थव्यवस्था के संकट और इसकी जीर्ण-शीर्ण हालत ने सरकार को विश्व बैंक से ज्यादा से ज्यादा कर्जा लेने के लिए बाध्य कर दिया है.

एक के बाद एक योजना ज्यादा से ज्यादा विदेशी सहायता पर आधारित है. इनसे यह भी पता चलता है कि नयी सहायता का एक बड़ा भाग पिछले कर्जों की अदायगी में ही खर्च हो जाता है. 1976-77 में 1599 करोड़ रुपये की कुल राशि के वितरण में से 75९ करोड़ रुपये तो कर्जा चुकाने में ही खर्च हो गए थे जिससे बाह्य सहायता मात्र 844 करोड़ रुपये रह गई. 1977-78 में कुल वितरण 1,290 करोड़ रुपये का था और 821 करोड़ रुपये कर्जा चुकाने में खर्च हुए. 1978-79 में ये आंकड़े क्रमशः 1,266 करोड़ रुपये व 882 करोड़ रुपये थे जबकि 1980-81 में ये 2,341 करोड़ रुपये व 882 करोड़ रुपये थे.

छठी पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज कुल बाह्य सहायता 10,000 करोड़ रुपये की आशा करता है जिसका मतलब है कि कुल 'सहायता' 15,000 से 20,000 करोड़ रुपयों की होगी.

साथियो यह एक खतरनाक स्थिति है जो देश के प्रसाधनों को गिरवी रख देने में परिणत हो सकती है यानि हमारे श्रमिकों को विदेशी कर्ज की अदायगी करनी होगी. पहले ही निर्यात के लिए उत्पादन का मतलब है कर्जा देने वालों और अन्य देशों को निर्यात ताकि कर्जा चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमा ली जाए. इसका यह भी मतलब है कि हमारे कुछेक कर्जा देने वालों को उन द्वारा बताए गए दामों पर निर्यात.

सरकार अब आई एम एफ से भारी कर्जा मांग रही है ताकि आर्थिक हालात से निबटा जा सके. कठोर शर्तों के बिना कर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि हम जानते हैं कि जब ब्रिटेन की कंजरवेटिव सरकार ने इससे कर्जा मांगा था इसने कठोर शर्तें थोपी थीं. इसका परिणाम है चहुओर बेरोजगारी, कल्याणकारी कदमों में कटौती और चारों ओर हिंसात्मक झगड़े.

यदि आवश्यक सेवा अध्यादेश, आई एम एफ से सहायता पाने के लिए, इस द्वारा की जाने वाली मांग की पूर्वानुभूति या जो मांगें इसने पहले ही की हैं उनका पालन करते हुए, सान्त्वना दायक कदम निकले तो हमें आश्चर्य नही होगा. इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आश्वासन देता है कि उनको मुनाफा कमाने के लिए भारतीय वातावरण काफी लाभदायक होगा.

इन सबका प्रतिरोध करते हुए हमें विदेशी कर्जे के भुगतान के तुरंत स्थगन को मांग करनी चाहिए. सभी विदेशी और भारतीय इजारेदारों के राष्ट्रीयकरण द्वारा एकत्रित हमारे अपने प्रसाधनों पर निर्भरता की हमें मांग करनी चाहिए. इस बारे में समाजवादी देश विश्वसनीय मित्र साबित हुए हैं और उनकी सहायता हमारे लिए बहुत ही कीमती रही है.

पूंजीवादी विकास का दिवालिया रास्ता

साथियो पूंजीवादी रास्ते के इस संकट व कठिनाइयों से कोई राहत नहीं है. सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के मुताबिक योजना के खत्म होने तक हमारे 21 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों यानि समूची जनता के 30 प्रतिशत व्यक्तियों से कम व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे नहीं होंगे. और यह गरीबी हटाने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च करके हासिल होगा. असलियत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत मौजूदा 48 प्रतिशत से घटकर कम नहीं होगा. बल्कि यह बढ़ेगी ही.

मैं पहले ही कह चुका हूं कि बढ़ती बेरोजगारी संकट के कारण है. हर कामयाब पंचवर्षीय योजना ने बेकारों की वृद्धि ही की है. पहली योजना के अंत में 53 लाख बेकार थे, दूसरी योजना के अंत में 71 लाख, तीसरी योजना के अंत में 96 लाख और चौथी योजना के अंत में बढ़कर एक करोड़ 26 लाख व पांचवी योजना के अंत में 2 करोड़ 21 लाख बेरोजगार थे.

लेकिन सरकारी आंकड़े बेरोजगारी की वास्तविकता को कम करके बताते हैं. (शेष पृष्ठ सतरह पर)

पी. राममूर्ति द्वारा जोरदार आह्वान

संगठन को मजबूत करो : एकजुट संघर्ष का निर्माण करो

सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति ने जनरल काउंसिल की बाल्ली, हावड़ा, में संपन्न बैठक में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भूपेश गुप्त, वेंकट राम व बाल दंडवते की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की. भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट, ट्रेड यूनियन व जनवादी आंदोलनों पर बढ़ते हमलों, फूटपरस्त ताकतों की कोशिशों और इनके साथ-साथ साम्राज्यवादी षड़यंत्रों, जिनका बी. टी. रणदिवे, अध्यक्ष, ने विस्तार से उल्लेख अपने भाषण में किया था, की ओर केंद्रित संकेत करते हुए उन्होंने 4 जून के बंबई सम्मेलन के फैसलों की महत्ता पर निम्नलिखित शब्दों में जोर दिया.

1. बढ़ती कीमतों के सवाल को सबसे ऊपर रखा गया है और ट्रेड यूनियन आंदोलनों को यह निर्देश दिया है कि वह इस मुद्दे को इस तरह ले कि यह समूची कामकाजी जनता को प्रभावित करता है.

2. किसानों के लिए लाभकारी कीमतें और खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन को प्रकाश में लाया गया है और ट्रेड यूनियन आंदोलन को यह निर्देश दिया गया है कि देश के इन शोषित तबकों के साथ मिलकर कामन मुद्दा बनाया जाए.

3. कांग्रेस (आई) सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की ओर इस द्वारा मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियन आंदोलन पर भयंकर हमलों का विस्तृत विवरण दिया गया है.

4. कांग्रेस (आई) सरकार की मूल आर्थिक नीतियां—एकाधिकार परस्त, भूपतिपरस्त तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों व विदेशी ऋणों पर निर्भरता—इन नीतियों की जड़ बतायी गयी हैं.

5. इन नीतियों के कारण भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लगातार गहराते संकट और इसके बोझ को मजदूर वर्ग व आम आदमी पर थोपने की तीखी विवेचना की गयी है.

6. इन हमलों के प्रति कामकाजी जनता के सभी तबकों द्वारा बढ़ते जन प्रतिरोध की व्याख्या की गयी है.

7. जनता के ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर कभी न कम होने वाले राजनीतिक हमलों तथा कांग्रेस (आई) सरकार के अधिनायकवाद की ओर रुझान को उपरोक्त बातों का सीधा परिणाम बताया गया है.

8. जनता के इस प्रतिरोध का मुकाबला करने के इरादे के लिए धर्म, समुदाय, भाषा, व क्षेत्र के आधार पर संघर्षरत जनता में फूट डालने की कोशिशों पर प्रकाश डाला गया है.

सम्मेलन में अपनाए गए कार्यवाही के कार्यक्रम की व्याख्या करते हुए उन्होंने सदस्यों को यह महसूस करने पर जोर दिया कि इस प्रकार पहली बार सभी ट्रेड यूनियन केंद्रों और औद्योगिक फेडरेशनों में मजदूर वर्ग व आम जनता की विभिन्न समस्याओं पर एक आम राय कायम हुई है.

इसलिए इन सभी बुनियादी मुद्दों पर मजदूरों में एक संयुक्त मंच से जबरदस्त प्रचार करने के लिए एक सबसे बड़ा मौका प्रदान किया गया है.

जिस हद तक हम इन विचारों को फैला पाते हैं उसी हद तक मजदूरों की चेतना बढ़ेगी और केवल उसी हद तक दिल्ली में जनसभा कार्यक्रम व सभी उद्योगों व संस्थानों में एक दिन की अखिल भारतीय हड़ताल कामयाब हो सकेगी.

यह समझ सभी राज्य कमेटियों, सभी संबद्ध ट्रेड यूनियनों और सीटू के हजारों कार्यकर्त्ताओं तक अवश्य पहुंचायी जानी चाहिए.

संयुक्त मंच व संयुक्त कार्यवाहियों की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी संयुक्त कार्यवाहियों के विकास के दौरान विभिन्न समस्याएं सामने आ रही हैं. उन्होंने बताया कि अनुभव यह बताता है कि जहां कहीं भी हमारे साथी कार्यवाही के स्वीकृत कार्य-क्रम के आधार पर सभी यूनियनों के मजदूरों के पास गये हैं इस तरह की कमजोरियों को दूर किया जा सका है.

जो बात अच्छी तरह समझनी है वह है कि एक बार संयुक्त कार्यवाही स्वीकृत हो जाने के बाद, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्यकर्त्ताओं को इस तरह से प्रोत्साहित करें और उन द्वारा हमारी यूनियनों में मजदूरों को प्रोत्साहित करें कि वे सभी मजदूरों के साथ भाई-चारा रखें. यही वह जन भाईचारा है जो सभी कमजोरियों को दूर करेगा और ऐसे संयुक्त संघर्षों में शक्तिशाली एकता पैदा करेगा.

लेकिन इस जन भाईचारे के निर्माण में इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि हमारा नजरिया ठीक हो और दूसरी यूनियनों के नेताओं, जिन्होंने संयुक्त संघर्ष स्वीकार किया हो, की कटुता से बिलकुल आजाद हो.

ऐसी मिसालें है कि दूसरी यूनियनों के नेता संयुक्त संघर्षों पर सहमति के दौरान इस पर जोर देते हैं कि संघर्षों के दौरान केवल संयुक्त बैठकें ही हों और किसी अकेली यूनियन द्वारा अपने आप बैठकें नही बुलायी जानी चाहिएं. हमारे साथियों ने बताया है कि ऐसे मामलों में संयुक्त सभाएं शायद ही कभी हो पाती हैं. इसका परिणाम होता है कि संघर्षों के दौरान मजदूर सक्रिय नहीं हो पाते.

सिद्धांततः हमारे साथियों को ऐसी शर्तें मंजूर नहीं करनी चाहिएं. लेकिन जहां यह बिलकुल जरूरी ही हो जाए, वहां ऐसे तरीके निकाले जाने चाहिएं कि सभाएं रोज हों और संघर्षों में मजदूरों को प्रोत्साहित किया जाए.

सीटू की स्वतंत्र गतिविधियों की महत्ता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी स्वतंत्र गतिविधियों की खास जरूरत है क्योंकि हमें मजदूर वर्ग में भारतीय

उपमहाद्वीप में पाकिस्तान को हथियार देकर तनाव पैदा करने व विश्व युद्ध की तैयारियां करने के अमरीकी प्रयासों के खिलाफ चेतना पैदा करनी है.

ट्रेड यूनियन आंदोलन पर आम तौर से और सीटू यूनियनों पर खास तौर से बढ़ते हमलों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने एकजुटता कार्यवाहियों की जरूरत पर जोर दिया. कुछ संघर्षों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन सभी केसों में समूचे राज्य में मजदूरों द्वारा प्रतिरोधात्मक एकजुटता कार्यवाहियां इस रूझान को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होंगी. हर हालत में ऐसी प्रतिरोधात्मक एकजुटता कार्यवाहियां—मजदूरों को कार्यवाहियों में शामिल करना न कि यूनियन कार्यकारिणियों द्वारा मात्र प्रस्ताव पारित करना—सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूरों के गुस्से के इजहार में सहायक होंगी और उनकी चेतना के स्तर को बढ़ाएंगी.

लेकिन ऐसी प्रतिरोधात्मक एकजुटता कार्यवाहियों के लिए कोई कोशिश नही की गयी लगती है.

जब केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक फेडरेशनों ने बंगलोर--स्थित सार्वजनिक उद्यमों के एक लाख दस हजार मजदूरों की 80 दिन की हड़ताल का केंद्रीय सरकार द्वारा दमन करने की कोशिशों के खिलाफ एक दिन की प्रतिरोध हड़ताल का आह्वान किया था, लगता है तब भी कई राज्य कमेटियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.

इस मुद्दे पर बहस करने के लिए कहते हुए उन्होंने संघर्षों की समीक्षा की जरूरत पर निम्नलिखित शब्दों में जोर दिया और इस पर विचार विमर्श करने को कहा.

बड़े व अन्य संघर्षों की समीक्षा न करना एक आम बात हो गयी है. ऐसी समीक्षाओं के न होने पर जिनमें विभिन्न स्थितियों का सामना करने के लिए अपनाई गई कई नीतियां शामिल होनी चाहिएं, सीटू केंद्र व राज्य कमेटियां इस हालत में नहीं है कि वे एक आम निष्कर्ष व सबक तैयार कर सके व उसे समूचे मजदूरों या कम से कम सीटू से संबद्ध यूनियनों के कार्यकर्त्ताओं की संपत्ति बना सके. यह आज और भी जरूरी इसलिए है कि नए-नए कार्यकर्त्ता संघर्षों में कूद रहे हैं. इन कार्यकर्त्ताओं को लैस करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वे गलतियों को न दोहराएं.

ट्रेड यूनियन आंदोलन, जो "मुख्यतः आर्थिक मुद्दों पर ही रहा", की एक और कमजोरी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों की चेतना के स्तर को बढ़ाने के काम पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि सरकार की नीतियों व उनके मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियन आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव को, जिसका विस्तार से उल्लेख किया गया, आम मजदूरों को तो क्या कार्यकर्त्ताओं तक को नहीं समझाया गया.

इसका नतीजा यह हुआ कि मजदूर वर्ग की चेतना का स्तर आर्थिक चेतना के स्तर तक नीचा ही रहा और यह समाजवादी चेतना के स्तर तक नहीं बढ़ा.

इन हालात का भयंकर परिणाम तब सामने आया जब 1975 में एमर्जेंसी लगायी गयी थी. मजदूर वर्ग ने इसका विरोध करने या सभी ट्रेड यूनियन अधिकारों व बुनियादी स्वतंत्रताओं के खात्मे के खिलाफ प्रतिरोध कार्यवाहियां करने तक में भी कोई प्रशंसनीय भूमिका अदा नहीं की.

यह जरूरी है कि संघर्षों के दौरान संघर्षरत मजदूरों में प्रचार जिन मुद्दों पर वे संघर्ष कर रहे हैं उनको सरकार की बुनियादी नीतियों के साथ जोड़कर किया जाए.

यह काम आज और भी महान महत्ता और फौरी जरूरत हासिल कर लेता है. यदि मजदूर वर्ग को घृणित हमलों को धराशयी करने और अधिनायकवाद के लिए कूच को उलट देने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करनी है.

उन्होंने इस तथ्य की ओर केंद्रित ध्यान आकृष्ट किया कि आज मजदूर सीटू को सबसे जुझारू और मजदूर वर्ग के सर्वोपरि नायक के रूप में देखता है और हमें हर हालत में बड़ी कमजोरियों को दूर करने के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह काम कामयाबी के साथ केवल तब ही किया जा सकता है जब हमारी ट्रेड यूनियनों में बृहत्तर जनवादी तरीकों से काम किया जाए.

ट्रेड यूनियन कार्य में जनवाद का अर्थ केवल यह नहीं है कि कार्यवाही समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं.

इसके लिए मजदूरों को संगठन की दिन प्रतिदिन की कार्यवाहियों व फैसले लेने में शामिल करने की जरूरत है.

इस तरह का वास्तविक जनवाद केवल तब ही संभव है जब कार्यकर्त्ताओं को फैक्टरी समितियों, और उद्योग या संस्थान के लिए उपयुक्त संगठनों को अन्य प्रकारों में संगठित किया जाए. केवल इन समितियों को कार्यरत करने पर ही, जो मजदूरों के साथ गहरा संबंध बनाएंगी, हम बृहत्तर जनवाद का आश्वासन दे सकते हैं.

इससे हर मजदूर के पास जाया जा सकता है और यूनियन का सदस्य बनाया जा सकता है.

यदि इस व्यवहार को पुनर्स्थापित नहीं किया गया तो यह यूनियन के नेताओं में ब्यूरोक्रेटिज्म पैदा करेगा.

बंगाल चटकल मजदूर यूनियन का हवाला देते हुए जिसने समूचे जूट मजदूरों को एक ही संगठन में संगठित किया है, उन्होंने कहा कि ऐसी औद्योगिक यूनियनों का निर्माण और उनकी जनवादी कार्यप्रणाली मजदूरों की चेतना बढ़ाएगी और छोटी यूनियनों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में ही डूबने की बजाए हमारे साथियों को बड़े व महत्वपूर्ण उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करेगी.

उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के सवाल को निम्नलिखित शब्दों में उठाया.

कामगार महिलाओं की समन्वय समिति के तत्वावधान में कामगार महिलाओं के आंदोलन के विकास ने कामगार महिलाओं की चेतना बढ़ाने में सहायता

[शेष पृष्ठ तेरह पर]

मजदूरवर्ग द्वारा तुरंत एकजुट हस्तक्षेप के लिए

कनफेडरेशन के लिए सीटू जनरल काउंसिल द्वारा पुनः आह्वान

सीटू की जनरल काउंसिल की बैठक, जो बेलूर-हावड़ा में 21 से 24 अगस्त को आयोजित की गयी, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों की एक कनफेडरेशन, जो सहमत फैसलों के आधार पर एक पार्टी अधिनायकवादी शासन की ओर कूच के खिलाफ मजदूर वर्ग की एकजुट ताकत के साथ तुरंत कार्यवाही व हस्तक्षेप कर सके, बनाने के आह्वान के साथ संपन्न हुई. जनरल काउंसिल द्वारा छटी पंचवर्षीय योजना, हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ते संकट, हड़तालों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक सेवा अध्यादेश की घोषणा और विश्व की आम स्थिति का विस्तृत विश्लेषण इसकी जरुरत को बल देता है और जनरल काउंसिल ने निदेश दिया कि इस संबंध में भरसक कोशिशें की जाएं.

बैठक के प्रांगण का नाम प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता व सीटू की वर्किंग कमेटी के सदस्य कामरेड दिनेन भट्टाचार्य, संसद सदस्य, जिनका पिछले वर्ष देहांत हो गया था, की याद में 'दिनेन नगर' रखा गया था. बैठक स्थल व उसके चारों ओर 20 किलो मीटर दूर का क्षेत्र पश्चिम बंगाल की रीतियों के अनुसार शहीदों की याद में और जनरल काउंसिल के सदस्यों का स्वागत करते हुए बड़े बड़े दरवाजों के साथ सजाया गया था.

वर्किंग कमेटी की लघु बैठक, जिसमें बैठक की कार्यसूचि व समय सारिणी तय की गयी, के बाद बी टी रणदिवे अध्यक्ष ने सीटू का झंडा फहराया व शहीद मिनार पर फूल माला अर्पित की. उनके बाद जनरल काउंसिल के सभी सदस्यों व अन्यों ने लाल गुलाब के फूल चढ़ाए. बैठक में 198 सदस्यों व 22 प्रेक्षकों ने भाग लिया. केरल से बहुसंख्यक सदस्य बैठक में भाग नहीं ले सके क्योंकि वे तीन सितंबर को आवश्यक सेवा अध्यादेश के खिलाफ केरल में होने वाली आम हड़ताल की तैयारियों में लगे थे. अध्यक्ष ने एलेक्सी कोसीगिन, सूगं चिंग लिंग, भूपेश गुप्त, दिनेश मजूमदार, पी सी जोशी, एस. वेंकटराम व बाल दंडवते पर शोक प्रस्ताव और शहीदों को श्रद्धांजलि प्रस्ताव पेश किए. सदस्यों ने हर प्रस्ताव के बाद एक मिनट मौन खड़े होकर इन प्रस्तावों को अपनाया. स्वागत समिति के अध्यक्ष पतित पावन पाठक ने जनरल काउंसिल के सदस्यों का स्वागत किया.

तब बी. टी. रणदिवे ने जनरल काउंसिल को संबोधित किया (उनका पूरा भाषण इस अंक में प्रकाशित किया गया है). उद्घाटन अधिवेशन होने के कारण वह संवाददाताओं व जनता के लिए खुला था और खचाखच भरे हाल ने मौजूदा हालात के विद्वत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक सुना. तब महाचचिव पी. राममूर्ति ने अपनी रिपोर्ट (अंश इस अंक में प्रकाशित किए गए हैं) पेश की जिसमें संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा के लिए जरूरत पर, जोकि मजदूर वर्ग व जनता को एकजुट करने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है, प्रकाश डाला गया.

वर्किंग कमेटी की ओर से एम. के. पंधे ने प्रस्ताव उपसमिति प्रस्तावित की जिसके नृसिंह चक्रवर्ती (संयोजक), एन प्रसाद राव, पी. के. कुरणे, के. एन रविन्द्रनाथ, शांति घटक, सुनील बसु राय व मदन फडनिस सदस्य थे. उन्होंने क्रेडेंश्यल कमेटी भी प्रस्तावित की जिसके ए. नल्लासिवन (संयोजक), एस. सूर्य-नारायण राव, चंडी प्रसाद, काली घोष व टी. एन नंबिराजन सदस्य थे. जनरल काउंसिल ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया. उन्होंने बैठक के लिए कार्यसूचि व समय सारिणी भी प्रसतवित की जिन्हें स्वीकार कर लिया गया.

उन्होंने फिर कार्य रिपोर्ट पेश की जिसमें सीटू केंद्र द्वारा उठाए गए उद्योगानुसार कदमों का विवरण दिया गया. रिपोर्ट ने विकासमान संघर्षों व सीटू के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डाला. इसने यह भी दिखाया कि किस प्रकार सीटू यूनियनों के खिलाफ पक्षपात किया जाता है और यूनियनों पर हमले बढ़ रहे हैं. यह दिखाती है कि किस तरह सरकार खुलेआम इंटक को संरक्षण दे रही है और सभी परामर्श बिलकुल औपचारिकता ही रह गये हैं. इनके उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार सीटू प्रतिनिधि कानूनी कमेटियों में संघर्ष कर रहे हैं ताकि बहस अर्थपूर्ण व मजदूरों के लिए हितकारी बन सके. उन्होंने रूस व चीन सहित विभिन्न देशों के ट्रेड यूनियन केंद्रों के साथ दोस्ताना संबंधों की वृद्धि के बारे में भी बताया.

बिरेन राय ने चैकोस्लोवाकिया गोष्ठी के अपने अनुभव बताए. पी. आर. कृष्णन, सुधीन कुमार, नृसिंह चक्रवर्ती व एस. सूर्यनारायण राव ने सदस्यों को अपने-अपने अनुभव बताए. यह तय किया गया कि सचिवमंडल स्थिति पर विचार विमर्श करे.

केंद्र से दो रिक्त स्थानों में से एक पर पी के गांगुली को जनरल काउंसिल ने सदस्य बनाया.

अबुल बसर ने बीडी मजदूरों व दर्जियों के संघर्ष के यूनियन रिकार्ड के सजिल्द खंड सीटू केंद्र को भेंट दिए जिसके लिए बी टी रणदिवे ने उनका धन्यवाद किया.

ई. एस. आई. स्कीम पर बहस एम. के. पंधे ने शुरू की जिसमें 14 सदस्यों ने भाग लिया. यह फैसला लिया गया कि प्रश्न-पत्र में उठाए गए प्रश्नों पर एक स्मरण पत्र 12 सितंबर तक पेश कर दिया जाएगा जिसे बाद में मजदूरों में प्रचार करने के लिए किताब के रूप में प्रकाशित किया जायेगा.

सेंट्रल बोर्ड आफ वर्कर्स एजुकेशन के लिए एक प्रतिनिधि भेजने के सवाल पर सचिव मंडल ने विचार विमर्श किया था और जनरल काउंसिल ने इसके लिए प्रतिनिधि न भेजने के फैसले को स्वीकार कर लिया.

सी. कन्नन व लक्ष्मी सेन ने आल चाइना फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस के

निमंत्रण पर अपनी चीन यात्रा की रिपोर्ट पेश की और ए सी एफ टी यू को धन्यवाद प्रस्ताव एकमत से अपना गया.

आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस के निमंत्रण पर सद्भावना दल के सदस्य के रूप में के रमनी ने सोवियत यूनियन यात्रा पर रिपोर्ट पेश की और ए यू सी सी टी यू को धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से अपनाया गया.

महासचिव की रिपोर्ट पर बहस में 31 सदस्यों ने हिस्सा लिया. इस गंभीर बहस के दौरान एस एस भट्टाचार्य ने कुछ आरोप लगाए जिनका जवाब मोतीलाल शर्मा व एम के पंधे ने दिया. आगे बहस विचाराधीन होने तक जनरल काउंसिल ने उसे मुअत्तिल करने का फैसला लिया और उसे बैठक से बाहर ले जाया गया.

बहस से पता चला कि एकजुट संघर्ष के विकास में अनेक समस्याएं हैं. कई सदस्यों ने हमारे संगठन में कमजोरियों की स्वालोचनात्मक समीक्षा भी की

बहस में उठाए गए सवालों का पी. राममूर्ति ने जवाब दिया. उन्होंने बताया कि सीटू केंद्र के कार्य की कुछ आलोचना सही है और स्थिति को सुधारने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं. कुछ आलोचना तथ्यों के आधार पर गलत थी. लेकिन उन्होंने एक बार फिर कहा कि राज्य व यूनियन स्तर पर काफी सुधार करना पड़ेगा जिसके बिना एकजुट संघर्ष के विकास के कार्य को भली-भांति पूरा नहीं किया जा सकता. शासक वर्ग द्वारा मजदूरों में फूट डालने के लिए अपनाए जा रहे तरीकों, वाममोर्चा सरकारों को अस्थिर करने की साजिशों और युद्ध के बढ़ते खतरे के खिलाफ उन्होंने सदस्यों को चेतावनी दी तथा सदस्यों को जोर देकर कहा कि वे बंबई सम्मेलन के फैसलों के आधार पर एकजुट संघर्ष के विकास के कार्य को पूरा करें.

काउंसिल ने फिर महासचिव की रिपोर्ट व कार्य रिपोर्ट को सर्वसम्मति से अपना लिया.

ए. नल्लासिवन ने क्रेडेंश्यल कमेटी की रिपोर्ट पेश की. यह पाया गया कि सीटू से संबद्धता प्राप्त करने के लिए 16,074 सदस्यों की यूनियनों ने आवेदन किए थे जिनमें से 56 यूनियनों के, जिनकी सदस्यता 9,677 थी, ही सब दस्तावेज उपलब्ध थे. अतः उन्हें सीटू से संबद्ध कर लिया गया. बाकी यूनियनों को इस शर्त के साथ संबद्ध कर लिया गया कि वे दो महीनों के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर देंगी. क्रेडेंश्यल कमेटी ने यह इच्छा जाहिर की कि राज्य कमेटियां हर तरह से पूर्ण आवेदन भेजने का आश्वासन दें. रिपोर्ट एकमत से अपना ली गयी.

नृसिंह चक्रवर्ती ने तब प्रस्ताव उपसमिति की रिपोर्ट पेश की. कुल मिलाकर समिति द्वारा 33 प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया था और इस द्वारा स्वीकृत संशोधनों को वितरित कर दिया गया था. आयरिश स्वतंत्रता संग्रामियों पर प्रस्ताव अध्यक्ष ने पेश किया जिसमें आयरिश स्वतंत्रता सग्रामियों के प्रति, जिनमें से दस का पहले ही जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने की मांग पर लंबी भूख हड़ताल के बाद देहांत हो चुका है, ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण की निंदा की गयी. बैठक ने यह याद किया कि इसी प्रकार का सलूक हमारे देश में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ किया गया था. असम में नामरूप में एस. देव राय पर कातिलाना हमले की निंदा करते हुए अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे सर्वसम्मति से अपना लिया गया. एक और प्रस्ताव में सी. गोविंदराजन पर घातक हमले की निंदा की गयी.

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारबंद किया जाने पर प्रस्ताव एन प्रसाद राव ने पेश किया. इसमें अमरीका द्वारा भारी मात्रा में हथियार दिए जाने पर, जो पाकिस्तान में जनता के खिलाफ तानाशाही शासन की सहायता करता है और साथ ही अमरीका की 'एशियाई एशियाइयों से लड़ें' की साजिश को बढ़ावा देता है चिंता व्यक्त की गयी. पाकिस्तान की जनता और मजदूर वर्ग को जनवाद की पुनर्स्थापना के लिए जुझारू संघर्ष के लिए मुबारकबाद देते हुए यह पाकिस्तान व भारत की जनता का आह्वान करता है कि वे तनाव व दो देशों के बीच युद्ध की मुखालफत करें. के. रविन्द्रनाथ ने प्रस्ताव का समर्थन किया जिसे एकमत से अपना लिया गया.

के. रविन्द्रनाथ से युद्ध से खतरे व शांति के लिए संघर्ष पर प्रस्ताव पेश किया जो मजदूर वर्ग का आह्वान करता है कि वह अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा पैदा किए गए युद्ध के बढ़ते खतरे को समझें और जनता को एकजुट करें ताकि वे विश्व मजदूर वर्ग आंदोलन के साथ करीबी सहयोग के साथ जंगबाजों की चाल को हरा सकें और विश्व शांति स्थापित कर सकें. ई बालानंदन ने प्रस्ताव का समर्थन किया जिसे सर्वसम्मति से अपना लिया गया.

नृसिंह चक्रवर्ती ने आवश्यक सेवा अध्यादेश की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया जो सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करता है कि वे अपनी पूरी शक्ति लगा दें ताकि केंद्रीय सरकार अपने कदम वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए. के. रविंद्रनाथ ने प्रस्ताव का समर्थन किया जो सर्वसम्मति से अपनाया गया.

पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा की जनता व सरकारों को बधाई देते हुए प्रस्ताव क्रमशः पी. के. कुरणे ,शांति घटक व सुनील बसु राय द्वारा पेश किए गए. इन सरकारों की सीमित प्रसाधनों के साथ विभिन्न उपलब्धियों की सूची पेश करते हुए प्रस्तावों में कहा गया है कि इन सरकारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को इस्तेमाल करने या आवश्यक सेवा अध्यादेश को लागू करने से बिलकुल इंकार करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ायी है और अब ये जनवाद के विकसित स्तंभों की तरह काम कर रही हैं. ये प्रस्ताव मजदूर वर्ग का आह्वान करते हैं कि वह जनवाद व जीवन के बेहतर स्तर के लिए अपने संघर्ष के एक अभिन्न अंग के रूप में वामपंथी नेतृत्व की सरकारों की रक्षा करे. इन प्रस्तावों का समर्थन क्रमशः सुनील बसु राय, पारसा सत्यनारायणा व के एन रविंद्रनाथ ने किया और सर्वसम्मति से अपना लिए गए.

छटी पंचवर्षीय योजना पर प्रस्ताव अध्यक्ष ने पेश किया. समिति द्वारा प्रस्ता-

वित संशोधन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने इस तथ्य की ओर केंद्रित ध्यान आकृष्ट किया कि अब बड़े भूपतियों से निजी भूमि को लेने की बजाए योजना बनाने वालों ने यह प्रस्ताव रखा है कि उन लोगों से, जिनकी केवल 5 एकड़ भूमि है, 15 प्रतिशत भूमि ले ली जाए जिसका मतलब कि अब छोटे किसानों की भी भूमि ले ली जाएगी. उन्होंने निवेदन किया कि मजदूर वर्ग को योजना के सभी पहलुओं को समझना चाहिए ताकि यह मेहनतकश जनता के हितों की रक्षा कर सके, और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एक अजेय शक्ति निर्माण कर सके.

अन्य प्रस्तावों की सूची, जिन्हें उपसमिति ने अंतिम रूप दे दिया था और वितरित कर दिया था, पढ़ी गयी और काउंसिल ने प्रस्तावों को अपना लिया. कुछ प्रस्ताव अंतिम रूप देने के लिए सचिवमंडल को सौंप दिए गए.

बी. टी. रणदिवे ने बहस का समापन किया. उन्होंने प्रस्तावों में रुचि लेने की जरूरत की ओर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया. उन्होंने कामगार महिलाओं की समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया और फिर मौजूदा संदर्भ की, जिसमें एकजुट कार्यवाही का आह्वान किया जा रहा है, यह बताते हुए कि एकता और स्वरूप स्थिर नहीं हैं विस्तार से व्याख्या की. विचार-तत्व भी बदलते हैं. आज अधिनायकवाद के प्रति रुझान से एकता की जरूरत पैदा होती है. उन्होंने स्वागत समिति व वालंटियरों को धन्यवाद दिया. सदस्यों की ओर से वी. पी. चिंतन ने स्वागत समिति व वालंटियरो को धन्यवाद दिया. स्वागत समिति के सचिव हरी साधन मित्रा ने जनरल काउंसिल के सदस्यो को धन्यवाद दिया.

बाल्ली शांताराम मैदान में 25 अगस्त को एक जनसभा हुई जिसे बी. टी रणदिवे, ज्योति बसु व मनोरंजन राय ने संबोधित किया. हजारों मजदूर व स्थानीय निवासी भारी वर्षा की परवाह न करते हुए वहां एकत्रित हुए थे. समूची सभा के दौरान एकजुट संघर्ष का आह्वान गूंज रहा था. सभा में यह घोषणा की गयी कि 11 सितंबर को हड़ताल के माध्यम से पश्चिम बंगाल आवश्यक सेवा अध्यादेश का विरोध करेगा. □

ए यू सी सी टी यू से शुभकामनाएं

सोवियत यूनियन की आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंज से सीटू को यह संदेश प्राप्त हुआ है.

प्रिय भाइयो सोवियत यूनियन के वेतनधारी मजदूरों व सामूहिक किसानों की ओर से आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंज भारत की ट्रेड यूनियनों और कामकाजी जनता को भारत व सोवियत संघ के बीच हुयी शांति, मित्रता व सहयोग की संधि की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती है. हम बहुत ही संतोष के साथ यह नोट करते हैं कि 1971 की संधि की ठोस बुनियाद पर आधारित भारतीय व सोवियत ट्रेड यूनियनों के बीच संबंध शांति, जनवाद व सामाजिक प्रगति के लिए, साम्राज्यवाद व प्रतिक्रियावाद के खिलाफ तथा मजदूरों व ट्रेड यूनियन आंदोलन की और अधिक एकता के लिए आपसी कार्यों के हित में लगातार विकसित होते रहे हैं. सी पी एस यू के महासचिव और यू एस एस आर की सुप्रीम सोवियत के अध्यक्षमंडल के अध्यक्ष एल. आई. ब्रेझनेव की एतिहासिक यात्रा हमारे देशों के बीच मित्रता और सहयोग के विकास में एक और बड़ा कदम है और यह एशिया व समूचे विश्व में शांति व सुरक्षा के लिए सहायक होगा. भारतीय मजदूरों व उनकी ट्रेड यूनियनों की उनके नये भारत के निर्माण के महान कार्य में आगे सफलता की कामना करते हैं. □

पी राममूर्ति...

[पृष्ठ दस से आगे]

की है. अगर राज्य समितियां व ट्रेड यूनियनें उचित दृष्टिकोण अपनाएं तो अनेक कामगार महिलाओं को उपयुक्त ट्रेड यूनियनों में शामिल किया जा सकता है और वे ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ता बन सकती हैं.

कार्यकारी समितियों व ट्रेड यूनियनों के कार्यों में महिलाओं को शामिल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन को आगे बढ़ाना है.

इस कार्य के प्रति लापरवाही हमारे ट्रेड यूनियन साथियों में पुरुष प्रधानता के सामंती दृष्टिकोण के रहस्य को बेनकाब करता है. इसके खिलाफ दृढ़ संघर्ष चलाया जाना चाहिए.

यह कहकर कि एक क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन के निर्माण के लिए दृढ़ संघर्ष शुरू करो उन्होंने अपने भाषण का समापन किया. □

सीटू की मासिक पत्रिकाओं को पढ़िए

दि वर्किंग क्लास

(अंग्रेजी में)

सीटू मजदूर

(हिंदी में)

एक प्रति की कीमत 50 पैसे

सालाना चंदा छः रुपये

कम से कम पांच प्रतियों की एजेंसी लिखें :

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली 110 001

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति मनोरंजन राय

नीरेन घोष सुधीन कुमार

एम. के. पधे (संपादक)

अजेय राउत को हत्या करने की कोशिश

सीटू की उड़ीसा राज्य कमेटी के महासचिव और झारसुगुडा इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन (सीटू) के अध्यक्ष अजेय राउत की हत्या करने के लिए उन पर 22 जुलाई को कांग्रेस (आई) के 200 हथियारबंद गुंडों के एक संगठित दल ने प्रबंधकों और उनके ठेकेदारों की शह पर भयंकर हमला किया.

भास्कर टैक्सटाइल मिल के 2,600 मजदूर पहले इंटक व एटक की दो यूनियनों में शामिल थे. एटक की यूनियन मान्यताप्राप्त थी. लेकिन सीटू के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन बनने के बाद ज्यादातर मजदूर इस यूनियन में शामिल हो गए और बाद में इस यूनियन को मान्यता भी मिल गयी. इस यूनियन में 2,500 मजदूर हैं. प्रशंसनीय संघर्ष के बाद मजदूरों के मांग पत्र पर एक समझौता हुआ जिससे मजदूर संतुष्ट थे. समझौते के तहत ठेका प्रथा खत्म कर दी गयी थी और सभी ठेका मजदूरों को मिल में नियमित मजदूरों की हैसियत से रख लिया गया था.

ठेकेदारों ने प्रबंधकों के एक हिस्से के साथ मिलकर, जिन्हें रिश्वत दे दी गयी थी, इंटक के गुंडों द्वारा 22 जुलाई को झारसुगुडा में सीटू दफ्तर पर शाम साढ़े तीन बजे हमला करा दिया. यूनियन के पांच पदाधिकारियों व अन्य मजदूरों पर घातक हमले किये गये. एक का दाहिना बाजू टूट गया. दूसरे को मृत समझकर छत पर फेंक दिया गया. मजदूरों को बर्बरता ने साथ पीटा गया. अजेय राउत अंदर के कमरे में थे. गुंडे दरवाजा व छत तोड़ने लगे. समूचे दफ्तर को अस्त व्यस्त कर दिया. यह हमला एक घंटा चला. दूसरे लोगों को इस हमले का पता चल जाने पर वे भाग गये. सूचना दिये जाने पर भी पुलिस नही आयी. इसे गुंडों के नाम बता दिए गये थे. लेकिन उनके खिलाफ कदम उठाने की बजाय 13 घायल मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया.

स्थानीय कांग्रेस (आई) एम एल ए, जिसका इसमें पर्दे के पीछे हाथ था, ने 27 जुलाई को एक और हमले की योजना बनायी जिसे मजदूरों ने धराशयी कर दिया.

पांच विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने राज्य मुख्यमंत्री से मांग की कि हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए.

राज्य सीटू के अध्यक्ष शिवाजी पटनायक ने अपील की है कि कांग्रेस (आई) द्वारा मजदूरों के जनवादी अधिकारों पर हमलों का एकजुट प्रतिरोध किया जाए. □

जूट मजदूरों की सफल हड़ताल

पश्चिम बंगाल के समूचे जूट उद्योग के दो लाख पचास हजार मजदूरों ने वेतनमान के फैसले को लागू करने की मांग को लेकर 10 अगस्त को हड़ताल की.

1979 में 50 दिनों की हड़ताल के बाद जूट मजदूरों व इंडियन जूट मिल्ज एसोसिएशन में एक फैसला हुआ था. इसमें सिद्धांततः यह माना गया था कि जूट मजदूरों के लिए ग्रेड और वेतनमान शुरू किये जाएंगे. इसके अनुसार भट्टाचार्जी कमेटी बनी और इसकी सिफारिशों के अनुसार श्रम मंत्री ने ग्रेड व वेतनमान शुरू करने के लिए अपना फैसला दे दिया. इस फैसले को लागू करने के बजाय मालिकान व आई. जे. एम. ए. ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और इसे रुकवाने के लिए अदालत का सहारा लिया. एन. जे. एम. सी., जो एक सार्वजनिक उद्यम है, ने भी आई. जे. एम. ए. की ही नीति अपनायी. जब सारी प्रतिरोध कार्यवाहियां नाकामयाब हो गयीं तो इस उद्योग में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों—सीटू, एटक, एच. एम. एस., यू. टी. यू. सी., और टी. यू. सी. सी.—ने एकजुट होकर हड़ताल का आह्वान किया.

बंगाल चटकल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष निरेन घोष व महासचिव कमल सरकार ने इस सफल हड़ताल पर मजदूरों को एक बयान में बधाई दी है.

केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा है कि 10 अगस्त की हड़ताल तो केवल एक चेतावनी है और यदि मालिकान व आई. जे. एम. ए. समझौते को लागू नहीं करते हैं तो मजदूर बड़ी ट्रेड यूनियन कार्यवाही करेंगे.

आवश्यक सेवा अध्यादेश की घोषणा के बाद जूट मजदूरों की 10 अगस्त की हड़ताल देश में पहली बड़ी हड़ताल थी. हालांकि जूट उद्योग इस अध्यादेश के तहत नहीं आता है फिर भी यह हड़ताल कांग्रेस (आई) सरकार के अधिनायकवादी कदमों का प्रतिरोध करने और चार जून के बंबई सम्मेलन के फैसले के अनुसार सभी उद्योगों में अखिल भारतीय हड़ताल की तैयारियां करने में समूचे मजदूर वर्ग का हौंसला बढ़ाएगी. □

गोविंदराजन को छुरा घोंपा गया

तमिलनाडु सीटू के सचिव व ई आई डी पारी शूगर फैक्ट्री लेबर यूनियन के अध्यक्ष सी. गोविंदराजन की हत्या करने के इरादे से उनके पेट में सीटू विरोधी गुंडों ने 5 अगस्त को छुरा घोंप दिया.

इससे पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं. अनेक मजदूर सीटू विरोधी यूनियन को छोड़कर सीटू यूनियन में शामिल हो गये थे. सूचना दिये जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की.

ई आई डी के मजदूरों ने तुरंत काम छोड़ दिया और 6 अगस्त को नेल्लीकुप्पन क्षेत्र में हड़ताल रही.

तमिलनाडु सीटू ने राज्य सरकार से मांग की है कि गुंडों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाए और मजदूरों के जनवादी व ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले बंद किए जाएं. □

रेलविभाग में जारी अनियमितताओं के सिलसिले में

प्रधानमंत्री के नाम का० समर का पत्र

सीटू के कोषाध्यक्ष समर मुखर्जी एम. पी. ने रेल विभाग में सुरक्षा उपायों के खुले उल्लंघन तथा रेल विभाग के श्रम-संबंधों के बारे में 30 जुलाई को प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा उसे यहां अपने पाठकों की जानकारी के लिए प्रकाशित कर रहे हैं.

मैं इस पत्र के साथ आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के महा-सचिव के 27 जुलाई 1981 के पत्र तथा उनके द्वारा आपको और रेल मंत्री श्री केदार पांडे को भेजे गये पत्रों की प्रतियां और श्री पांडे के नाम मेरे अपने पत्र की प्रति भी आपके पास भेज रहा हूं ताकि आप इन पर विशेष ध्यान दें सकें.

आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से भेजे गये पत्र की प्राप्ति से पहले ही मैं 27 जुलाई 1981 को श्री केदार पांडे से मिला था और भारतीय रेलवे में सुरक्षा संबंधी उपायों के खुले उल्लंघन की घटनाओं से उन्हें अवगत कराया था. मैंने इस संदर्भ में उन्हें कुछ अकाट्य प्रमाण भी दिये थे. ऐसा ऐसा लगता है कि रेलगाड़ियां बिना गार्डों के चलायी जा रही हैं समुचित ब्रेक पावर और वैकुम ब्रेक की व्यवस्था के बगैर चलायी जा रही हैं. यही नहीं गैर-ड्राइवर कर्मचारियों, यहां तक कि फायरमैनों, द्वारा मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट गाड़िया चलायी जा रही हैं. सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के सिलसिले में सरकारी स्तर पर रेलमंत्रालय का रवैया भले ही कुछ भी क्यों न हो, इतना जरूर है कि इनमें कुछ उपाय तो कानूनन आवश्यक हैं और छोटे स्तर के अधिकारी तब तक उनका उल्लंघन कर ही नहीं सकते जब तक कि रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दे दें. अतः यहां जो बुनियादी सवाल पैदा होता है वह यह है कि—क्या कोई भी अधिकारी कानून आवश्यक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करके निर्दोष यात्रियों और रेल कर्मचारियों के जीवन से खिलवाड़ कर सकता है? मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय में विशेष जांच करवाकर समुचित कदम उठायेंगी.

दूसरा मुद्दा भारतीय रेल विभाग में श्रम संबंधों के साथ जुड़ा हुआ है. हर व्यक्ति यह जानकर क्षुब्ध होगा कि लोको रनिंग स्टाफ के तीन कर्मचारी बगैर सुनवायी के आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बंद हैं. इन तीन में से एक तो लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के प्रमुख नेता हैं. इस सिलसिले में मैं आपका ध्यान संगठन बनाने के अधिकार से संबद्ध कमेटी के फैसले की ओर दिलाना चाहता हूं. यह कमेटी ऐसी हरकतों को नामंजूर करती रही है और कमेटी के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बाडी ने भी स्वीकार किया है. इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन दिनों भारतीय रेलवे में किस प्रकार से श्रम-संबंध चल रहे हैं. इसके अलावा मैं अनेक पत्रों और सरकूलरों की प्रतियां भी भेज चुका हूं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कर्मचारी अमान्यताप्राप्त यूनियनों या एसोसिएशनों के तहत संगठित हैं उन्हें मीटिंग करने, प्रतिनिधिमंडल ले जाने या धरना देने का सामान्य अधिकार तक हासिल नहीं है, चाहे उन्होंने इस कार्य के लिए छुट्टी ही क्यों न ली हो. रेल मंत्री से मेरी बातचीत के दौरान श्री पांडे इन हरकतों के बचाव में कोई ठोस बात नहीं कह सके, जबकि इन्ही कार्रवाइयों के कारण आज रेल कर्मचारियों की हालत बंधुआ मजदूरों जैसी या उनसे भी बदतर हो गयी है. इस मामले में भी आपके फौरी हस्तक्षेप की दरकार है.

अतः आपसे निवेदन है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार लोगों की रिहाई, सुरक्षा नियमों के पालन तथा रेल विभाग में श्रम-संबंध सुधारने की दिशा में समुचित कदम उठायं. आशा है, इस दिशा में उठाये कदमों से मुझे अवगत कराने की कृपा करेंगी इसके लिए आभारी रहूंगा. □

धामपुर में सीटू कोआर्डिनेशन कमेटी बनी

धामपुर, 10 अगस्त. सीटू से संबद्ध यूनियनों की एक बैठक आज के वी भूषण की अध्यक्षता मे संपन्न हुई. बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सीटू के अध्यक्ष हरसहायसिंह ने बताया कि वर्तमान हालत में मेहनतकशों और आम जनता पर और अधिक हमले होने की संभावनाए हैं. इन हमलों का मुकाबला मेहनतकशों के एकजुट संघर्षों द्वारा ही किया जा सकता है.

बैठक में सीटू की जिला कोआर्डिनेशन कमेटी गठित की गई जिसके के वी भूषण संयोजक मनोनीत किए गए. केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित हड़ताल विरोधी अध्यादेश की निंदा की गई और उसे वापस लेने की मांग की गई. बैठक में कामरेड भूपेश गुप्त के निधन पर शोक व्यक्त किया गया. □

एक अजेय शक्ति का निर्माण करो

बंबई में 4 जून 1981 को संपन्न मूल्य-वृद्धि और सरकार की मजदूर वर्गविरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन के दस्तावेज.

मूमिका : बी टी रणदिवे
अध्यक्ष, सीटू

पृष्ठ : 32 मूल्य : 75 पैसे

मिलने का पता :
सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड,
नयी दिल्ली-110 001

टिस्को के ठेका मजदूर संघर्षरत

टिस्को के ठेका मजदूरों की 6 महीने से चली आ रही हड़ताल 26 जुलाई को वापस ले ली गई क्योंकि बिहार राज्यपाल ने मामला रांची न्यायाधिकरण के पास भेजने का वादा किया था और यह तय किया गया था कि 30 जुलाई से मजदूर काम पर जाएंगे.

लेकिन 30 जुलाई को जब 5,000 ठेका मजदूर काम पर गये तो पहले से ही वहां मौजूद पुलिस ने बर्बरता से महिला और पुरुष मजदूरों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया जिसमें अनेक घायल हुए. बाद में मौके पर एस डी ओ और एस पी पहुंचे जिन्होंने 50 मजदूरों के नाम व पास नंबर लिखे और यह आश्वासन दिया कि वे उच्चाधिकारियों को सूचित करेंगे कि टिस्को मैनेजमेंट ने 5,000 ठेका मजदूरों को काम पर नही जाने दिया.

इस कांड के विरोध में मजदूरों ने श्रम विभाग के दफ्तर के सामने एक प्रदर्शन किया. इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन (सीटू) व जमशेदपुर कंट्रेक्टर्स वर्कर्स यूनियन (एटक) की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से मिला और एक ज्ञापन पेश किया. प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू के के के त्रिपाठी ने कहा कि जब तक सभी ठेका मजदूरों को काम पर वापस नहीं लिया जाता संघर्ष जारी रहेगा. □

कोयला मजदूरों की शानदार जीत

विश्रामपुर, मध्यप्रदेश में भटगवां कोलियरी के प्रबंधकान ने मई-जून के दौरान 86 मजदूरों की छंटनी कर दी थी. इन मजदूरों ने कोयला श्रमिक संघ (सीटू) के नेतृत्व में एकजुट होकर आंदोलन किया था और तीन दिन तक खदान बंद रखी थी. इससे प्रबंधकों को मजबूर होकर यूनियन प्रतिनिधियों के साथ समझौता करना पड़ा और छंटनी किए गए मजदूरों को पुन: काम पर वापस लेना पड़ा. □

तार कंपनी और जेम्को मजदूरों का सम्मेलन

तार कंपनी और जेम्को मजदूरों का एक शानदार सम्मेलन 26 जुलाई को जमशेदपुर में, जमशेदपुर कामगार यूनियन के अध्यक्ष, गुर्बक्श सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ.

सम्मेलन में मजदूरों के 36 सूत्री मांगपत्र को अंतिम रूप दिया गया जिसमें अकुशल मजदूरों के लिए 1177.60 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग भी शामिल है.

सम्मेलन ने, बंबई के राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णयों पर, मजदूरों की मांगों पर तुरंत समझौते पर, ठेका मजदूरों के संघर्ष आदि पर कई प्रस्ताव अपनाए. □

रोहतक सीटू की बैठक

सीटू की रोहतक जिला कमेटी की एक बैठक 5 अगस्त को हुई जिसमें मजदूरों के आंदोलनों पर विचार विमर्श किया गया.

बैठक में केंद्र सरकार द्वारा हड़ताल के अधिकार पर पाबंदी लगाने, मालिकान और पुलिस द्वारा मनमानी करने और मोहन स्पीनिंग मिल के मजदूरों के दीर्घ-कालीन मांगपत्र को लगातार अनदेखा करने की आलोचना की गई.

जिला सीटू ने मजदूरों के मूल अधिकारों पर हमलों के खिलाफ सरकार को चेतावनी दी है और मोहन स्पीनिंग मिल के मजदूरों के संघर्ष का पूरा समर्थन दिया है. □

सीटू प्रकाशन

बढ़ता दमन शक्तिशाली संघर्ष !

(हिंदी में)

लेखक

बी. टी. रणदिवे

अध्यक्ष, सीटू

कीमत : 80 पैसे

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय,

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली 110 001

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1981		
	अप्रैल	मई	जून
बिहार			
जमशेदपुर	400	405	415
झारिया	397	403	405
कोडर्मा	427	426	437
मोंघाइर	438	442	456
नोआमुंडी	404	397	419
गुजरात			
अहमदाबाद	406	418	427
भाव नगर	438	442	448
हरियाणा			
यमुना नगर	467	456	468
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	449	460	459
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	447	449	452
भोपाल	447	451	461
ग्वालियर	455	464	467
इंदौर	472	475	480
महाराष्ट्र			
बंबई	435	442	450
नागपुर	435	440	454
शोलापुर	472	471	482
पंजाब			
अमृतसर	442	445	452
राजस्थान			
अजमेर	449	456	470
जयपुर	461	477	487
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	412	420	429
सहारनपुर	430	432	436
वाराणसी	484	480	484
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	435	436	440
कलकत्ता	379	399	406
दार्जीलिंग	347	348	350
हावड़ा	381	385	390
जलपाइगुरी	342	346	348
रानीगंज	412	415	442
दिल्ली	448	453	461
भारत	427	433	439

बी. टी. रणदिवे का अध्यक्षीय भाषण

(पृष्ठ आठ से आगे)

अगले पांच सालों में श्रम मंडी में 3 करोड़ 20 लाख तक व्यक्ति शामिल हो जाएंगे और योजना बनाने वाले 3 करोड़ को रोजगार देने का दावा करते हैं और 2 करोड़ 42 लाख को फिर छोड़ जाते हैं.

तीन करोड़ नए रोजगार देने का दावा एक हास्यास्पद दावा है क्योंकि ये उन योजनाओं व समाधानों पर आधारित है जो पिछले तीन दशकों में बेनकाब हो गया है. योजना आयोग कहता है कि "मुख्य रोजगार उत्पत्ति गतिविधियां कृषि, ग्रामीण विकास, ग्रामीण व लघु उद्योग, निर्माण, सार्वजनिक प्रशासन और अन्य सेवाओं में मिलेंगी" अर्थात ज्यादातर उद्योगों में कम वेतन व सख्त परिश्रम के साथ.

संगठित उद्योग कम संख्या में रोजगार दे सकते हैं. "साल दर साल वृद्धि (संगठित क्षेत्र में रोजगार में) 8 लाख हुई है. अगर संगठित क्षेत्र में आगामी रोजगार वृद्धि केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही ले लेते हैं तो पता चलता है कि सभी शिक्षित व्यक्तियों के लिए भी रोजगार नहीं हैं जब तक कि उन्हें स्वयं-रोजगार की ओर न मोड़ा जाए" .... अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात में स्वय-रोजगार का टुकड़ा लाखों व्यक्तियों के साथ जो रोजगार की इंतजार कर रहे हैं, धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं है.

स्लम की ओर

योजना बनाने वाले कहते हैं कि "कुल शहरी जन-संख्या का लगभग एक पांचवा भाग अनुमानतः स्लम जन-संख्या होगा. 1985 में ऐसी जनसंख्या जिसे मकान की जरूरत होगी अनुमानतः 3 करोड़ 70 लाख होगी." इस पूंजीवादी रास्ते के लिए योजना बनाने वाले 21 लाख मकान बनाएंगे और बाकी निजी क्षेत्र पर छोड़ दिए गए हैं अर्थात् स्लम पर.

ग्रामीण आवास के संबंध में भी पूंजीवादी रास्ते की ऐसी ही शर्मनाक उपलब्धी है. "यह अनुमान लगाया जाता है कि आवास सहायता के लिये जरूरतमंद परिवारों की मार्च 1985 तक संख्या एक करोड़ 45 लाख परिवार होगी. इनमें से 77 लाख परिवारों को पहले ही घरेलू जगह दी जा चुकी है... उन परिवारों में से जिन्हें घरेलू जगह दी जा चुकी है लगभग 5 लाख 60 हजार परिवारों को निर्मित मकान दिए गए हैं."

बेरोजगारी के विरुद्ध संघर्ष

यह स्थिति एक बार फिर संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन का आह्वान करती है कि वह बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष को गंभीरता से ले और बेरोजगारों को राहत की मांग करे. यह याद रहे कि रोजगार शुदा मजदूरों के बेटे और बेटियों के लिए निकट भविष्य में स्थायी रोजगार पाने की कोई खास संभावना नहीं है. इसके अलावा बेरोजगार समुदाय के खतरे को बुर्जुवा-भूपति सरकार मजदूरों के खिलाफ अवश्य इस्तेमाल करेगी. बेरोजगारी का सवाल बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण किए बिना हल नहीं किया सकता जिसका मतलब है सत्ता के लिए गंभीर आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई. असल में केवल समाजवाद के तहत ही बेरोजगारी पूरी तरह खत्म होगी. आंदोलन को स्वयं को इस बड़े संग्राम के लिए तैयार करना होगा.

इसी दौरान इसे चाहिए कि काम के अधिकार को बुनियादी अधिकार बनाने की मांग करे और इसके विचाराधीन रहते बेरोजगारों के लिए राहत की मांग करे. याद रहे कि जब तक हम संघर्ष नहीं करते हैं हमारे युवकों का एक बड़ा भाग बिना रोजगार रहेगा और स्लमों में रहने को मजबूर होगा.

हाल ही में अखबारों में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि भारत सरकार का श्रम मंत्रालय बेरोजगारों को कोई भत्ता दिए जाने के खिलाफ है. इसका अर्थ है कि यह पश्चिम बंगाल व केरल में जारी योजना को स्वीकार नहीं करता है. उनके विरोध का एक तर्क यह है कि बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने का अर्थ होगा उनके साथ भेद-भाव जो पंजीकृत नहीं हैं. क्या आप इस तर्क को मत दे सकते हैं ? यह नही मालूम कि क्या श्रम मंत्रालय भेदभाव पूर्ण व्यवहार के लिए पश्चिम बंगाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायगी और सभी के लिए भूखों मरने के अधिकार पर जोर देगी.

मजदूर-किसान-खेतिहर मजदूरों की एकता का निर्माण करो

साथियो, इन सालों के दौरान किसान व खेतिहर मजदूर आर्थिक संकट और सरकारी नीतियों के सबसे बड़े शिकार हुए हैं. इन चारों ओर से शोषितों की असहायता की ओर मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने संकट का मुख्य बोझ सहा है क्योंकि वे असंगठित हैं. लेकिन अब स्थिति बदल गई है.

हाल ही के महीनों में विभिन्न तबकों—छात्रों, अध्यापकों कामकाजियों ने विभिन्न संघर्ष किए हैं. पंजाब व अन्य राज्यों में बस भाड़ों में वृद्धि के खिलाफ संघर्ष हुए हैं जिनमें छात्रों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया है. देश में संघर्ष के इस दौर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसानों का संघर्ष है. कर्नाटक में उन्होंने संघर्ष किया और उन्हें गोलियां खानी पड़ीं. वे महाराष्ट्र में लड़े और उन्होंने गोलियां खाईं और जेल गए. वे आंध्र और पंजाब में लड़े और दमन के शिकार हुए. लेकिन आंदोलन जारी रहा. इसने कांग्रेस (आई) सरकार को कुछ सुविधाएं देने के लिए मजबूर कर दिया.

26 मार्च का किसान मोर्चा जिसमें सी आई टी यू ने भाग लिया था किसान जागृति और मजदूर वर्ग, खेतिहर मजदूरों व किसानों के भाईचारे का खुला प्रदर्शन था.

सी आई टी यू और मजदूर वर्ग लाभकारी कीमतों और कर्जों के खात्मे जैसी अन्य मांगों के लिए किसान आंदोलन का भारी समर्थन करती है, यह खेतिहर मजदूरों के लिए वेतन व अन्य राहतों का समर्थन करती है. यह किसानों के मांगपत्र के इस मांग कि खाद्यान्न के विक्रय दामों में वृद्धि न की जाय, का समर्थन करती है.

मजदूरों, किसानों व खेतिहर मजदूरों का मिला-जुला मोर्चा भारत में एक सशक्त जनवादी व क्रांतिकारी मोर्चे के रूप में उभर सकता है जिसके सामने शोषक वर्गों की कोई सरकार नहीं टिक सकती. ट्रेड यूनियन आंदोलन को यह समझना होगा कि शोषण की व्यवस्था का तब तक खात्मा नहीं हो सकता जब तक वर्तमान शासक वर्गों को अपदस्थ कर जनवाद का प्रतिनिधित्व करने वाले

राज्य की स्थापना नहीं की जाती. यह काम भारत के किसान वर्ग का सहयोग पाए बिना संभव नहीं हो सकता.

किसानों के संघर्ष में मजदूर वर्ग द्वारा उन्हें सहयोग देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक मजबूत किसान संगठन के अभाव में किसानों के असंतोष का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के भूस्वामी व धनी किसान उठाएंगे व उनके आंदोलन का अपने निहित स्वार्थों के लिए प्रयोग करेंगे.

विघटनकारी हमले

साथियो, जहां हम ट्रेड यनियन आंदोलन और अपने वर्ग को स्थापित करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं वहां विघटनकारी ताकतें हमारी एकता पर हमले कर रही हैं—और कभी कभी वे मजदूरों के एक हिस्से को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके खुल्लमखुल्ला लड़ाई करने में कामयाब हो जाते हैं.

गुजरात में आरक्षण विरोधी आंदोलन में, जिसका सभी बुर्जुवा पार्टियों ने समर्थन किया था, यही हुआ था. सी. पी. आई (एम), सी पी आई और सी आई टी यू ने इसका विरोध किया और मजदूरों की एकता के लिए काम किया.

आंदोलन तीन महीने चला. इसके दौरान लगभग सभी बड़े शहरों में कभी न कभी कर्फ्यू लगा. पुलिस ने बार बार गोलियां चलाईं. 45 व्यक्तियों को अपनी जानें गवानी पड़ीं.

शुरू में पुलिस बर्बरता के सबसे बड़े शिकार हरिजन थे. बाद में, शायद, पुलिस ने जो भी मिला उसको पीटा.

बड़ी बुर्जुवा प्रैस, पूंजीपतियों, मिल मालिकान, चिकित्सा व्यवसाय, सभी गैर हरिजन यूनिवर्सिटी छात्रों, प्रोफेसरों, अध्यापकों, केंद्र व राज्य सरकार कर्मचारियों, व्यापारी समुदाय, और मिल मजदूरों ने आंदोलन का समर्थन किया. केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के संगठन के कुछ नेताओं और आल इंडिया इंशोरैंस एंप्लाईज एसोसिएशन के कुछ नेताओं ने एकता के लिए प्रशंसनीय संघर्ष किया और आरक्षण विरोधी बहाव में बहने से इंकार कर दिया. उनमें से कुछ को ए आई आई ई ए के पदों से हटा दिया गया लेकिन बाद में जब जीवन बीमा निगम में हड़ताल हुई तो उन्हें अपने पदों पर वापस ले लिया गया.

इसके विपरीत मिलों के स्पिनिंग विभागों में कार्यरत 75,000 मजदूरों ने आरक्षण के समर्थन में हड़ताल की. इस पर सवर्ण हितरक्षक समिति ने सवर्ण मजदूरों का आह्वान किया कि वे हड़ताल करें और इस तरह मजदूरों में पूरी तरह जाति भेद पैदा हो गया.

यह विभाजन, यह भिड़ंत मजदूरों के उन दो हिस्सों के बीच हुई जो दोनों ही बुर्जुवा-भूपति शासन के शिकार हैं और ऐसा संभव इसलिए हुआ क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और हाल ही के सालों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है.

साथियो, गुजरात का अनुभव जिसमें हजारों हरिजन मजदूरों को हजारों दूसरे मजदूरों के खिलाफ भिड़ाया गया ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए चेतावनी है. हरिजन मजदूरों को आम संघर्ष से दूर रखने के लिए शासक पार्टी आरक्षण के धोखे को बार बार इस्तेमाल करेगी. बर्जुवा पार्टियों की अवसरवादिता दूसरे मजदूरों में अछूत मजदूरों के खिलाफ जाति भेद की भावना भरेगी ताकि वे मामूली चुनावी सफलता को प्राप्त कर सकें. शासक और विरोधी बुर्जुवा पार्टियां अछूतवाद के खिलाफ असल व प्रभावशाली कदम नहीं उठाएंगी क्योंकि यह सही जाति विरोधी दृष्टिकोण के साथ-साथ कृषि संबंधों में पूरा फेरबदल होगा.

जाति भेद-भाव व अछूतों पर थोपी गयी विद्रोही स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए रोजगार में आरक्षण का विरोध नहीं किया जा सकता. इस बात को समझना चाहिए कि इस जाति भेदी समाज में मेरिट के आधार पर हरिजनों व आदिवासियों के लिए रोजगार प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है. इसके अलावा कांग्रेस (आई) के दावे कि उनको सेवाओं में पर्याप्त रोजगार दिए गए हैं बिलकुल झूठे दावे हैं. उनको उचित आरक्षण कम वेतन वाले रोजगारों में ही मिला होगा. साथ ही बुर्जुवा-भूपति शासन के तहत यह आशा करना बेकार है कि उन्हें उनकी जनसंख्या के मुताबिक ऊंची सेवाओं में नौकरियां मिलेंगी.

हरिजन मजदूरों की देश में ट्रेड यूनियनों द्वारा चलाए जा रहे है दैनिक संघर्षों में हरिजनों के रूप में विशेष समस्याओं को नहीं लिया गया है और इसके कारण इन वर्गों के दिमाग में आम वर्ग संघर्ष के प्रति उदासीनता पैदा हो गयी है.

चाहे ये मजदूर वर्ग के संघर्ष हों या ऊंची कीमतों के खिलाफ सघर्ष, या किसानों व खेतिहर मजदूरों का आंदोलन, या एमर्जेंसी शासन के खिलाफ संघर्ष या समाजवाद के लिए वर्ग आंदोलन, हरिजन लोग, जिनका उत्थान आंदोलनों की सफलता से जुड़ा हैं, इन संघर्षों से अलग रहते हैं.

ट्रेड यूनियनों द्वारा इन कमजोरियों को दूर किया जाना चाहिए और विभाजन की दीवार को तोड़ा जाना चाहिए. ट्रेड यूनियन को इस दलित वर्ग की ओर खास ध्यान देना होगा और उन्हें आम आंदोलन में शामिल करना होगा. साथ ही हरिजनों को इस सच्चाई को समझाना होगा कि उनके असल उत्थान की स्थितियां देश के अन्य गरीब तबकों के उत्थान की स्थितियों के समान ही हैं—यानि एक नई समाज व्यवस्था, कृषि संबंधों में पूर्ण फेरबदल, एकाधिकारी संस्थानों का राष्ट्रीयकरण और जनता के हाथों में सत्ता.

राष्ट्रीय एकता की रक्षा करो

साथियो, फूटपरस्त ताकतें केवल मजदूर वर्ग में ही फूट डालने के लिए कार्यरत नहीं हैं. उनका निशाना है राष्ट्रीय एकता, उनका इरादा है राष्ट्रीय विघटन ताकि साम्राज्यवादी ताकतों के नव-उपनिवेशिक मंसूबों के सामने भारत भीगी बिल्ली बन जाए. केंद्र में कांग्रेस (आई) सरकार राष्ट्र की एकता कायम रखने योग्य नहीं है और शासक पार्टी के नेता स्वयं राष्ट्रीय एकता को बहुत ही घटिया तरीके से नीचा करके आंकते हैं. सांप्रदायिक झगड़े पैदा किये जाते हैं जिनमें मुसलमान ज्यादा नुकसान उठाते हैं. हिंदू व मुस्लिम संप्रदायवादी पृथकतावादी भावनाओं को भड़काते हैं. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमारे राष्ट्र के हिंदू चरित्र का व्याख्यान

करते हैं. मुस्लिम संप्रदायवादी उग्र तबके यह पाठ पढ़ाते हैं कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं. भारत के एक और विभाजन की बात की जा रही है. प्रतिक्रियावादी सिख एजेंसिया दावा करती हैं कि वे अलग राष्ट्र हैं और खालिस्तान की मांग करती हैं. इनमें से कुछ संप्रदायवादी एजेंसियों को, जो अलग राष्ट्र का सबक देती हैं, विदेशों के प्रतिक्रियावादी केंद्रों से धन मिलता है. इस प्रचार में साम्राज्यवाद का हाथ साफ जाहिर है. कुछ विदेशी क्रिश्चन मिशन जनजातियों में जनजातियों के लिए एक अलग स्वतंत्र राज्य के लिए प्रचार करती हैं.

और अंततः कुछ कांग्रेस (आई) मुख्य मंत्री खुल्लमखुल्ला क्षेत्रीय व पृथकतावादी भावनाओं को फैलाते हैं. धरती के लाल का नारा जिसे एकबार शासक पार्टी ने खुल्लमखुल्ला प्रयोग किया था फिर से भारतीय को भारतीय से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने कुछ महीने पहले शिव सेना को संरक्षण दिया था जो दूसरे राज्यों के लोगों के खिलाफ प्रचार करती है.कुछ महीने पहले बंबई में गैर महाराष्ट्रियों की दुकानों पर हमला किया गया था. अंतुले का हाल ही का पटड़ी वालों के खिलाफ अत्याचारी अभियान शायद शिव सेना की विचारधारा के तहत होने के सिवाय कुछ नहीं था. इन पटड़ी वालों में ज्यादातर तमिलनाडु के गरीब लोग थे, जिन्हें ट्रेनों में ठूस दिया गया और तमिलनाडु वापस भेज दिया गया. और अब अंतुले यह कह रहा है कि बंबई में घुसने के लिए वह कार्यअनुमति प्रणाली लगाना चाहता है. ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र पहले ही एक स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया है और दूसरे राज्यों को बंबई में घुसने के लिए 'विजा' (इजाजत) लेने की जरूरत पड़ेगी. कांग्रेस (आई) मुख्य मंत्रियों के ये कारनामें हैं जो देश की एकता को कम करके आंकते हैं. लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी देश की एकता को बचाने के लिए भी अंतुले को विक्षुब्ध नहीं करेगी.

लेकिन अंतुले ही अकेला मुख्य मंत्री नहीं है जो राष्ट्रीय एकता को खुल्लमखुल्ला नष्ट करने में लगे हैं. कर्नाटक का मुख्य मंत्री गुंडुराव पीछे नहीं है. पिछले साल उसने खुल्लमखुल्ला असम जैसी यानि पृथकतावादी स्थिति पैदा करने की धमकी दी थी. बंगलोर के सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की हड़ताल के दौरान पृथकतावादी धमकियां केरल व तमिलनाडु के मजदूरों के खिलाफ दी गईं थीं, हड़तालियों में इन मजदूरों की संख्या काफी थी. यह सभी जानते थे कि इस धमकी का स्रोत कांग्रेस (आई) सर्कल थी. साथियो, असम की जनता का एक बड़ा हिस्सा पृथकतावादी आंदोलन, जो विदेशी नागरिकों के आने के फलस्वरूप हुआ, का शिकार हुआ. अमरीकी साम्राज्यवादी हमारे देश को विभाजित करने के लिए गुप्त रूप से इस आंदोलन की सहायता कर रहे हैं.

हम सब अपनी असम सीटू, हमारे जुझारू मजदूरों और उनके नेताओं को, जिन्होंने देश की एकता की रक्षा में और मजदूर वर्ग की एकता के लिए जुझारू संघर्ष किया, बधाई देते हैं. उन्हें प्रतिक्रियावादी पृथकतावादी ताकतों के उग्र आवेश का सामना करना पड़ा. हमारे अनेक साथियों पर हमले हुए, कई कत्ल हुए, व जख्मी हुए लेकिन वे एकता का झंडा बुलंद किए हुए हैं. हम उनकी प्रशंसा करते हैं. साथियो सीटू के नेतृत्व में मजदूर वर्ग को विघटनकारी ताकतों का सामना करना है. ये ताकतें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के टुकड़े करने की साम्राज्यवादी साजिशों का समर्थन करती हैं. राष्ट्रीय एकता के झंडे को बुलंद रखना, साम्राज्यवादी मंसूबों को धराशयी करना, हमारे राष्ट्र के अस्तित्व के लिए संघर्ष में आम आदमी व मेहनतकशों को उनके धर्म व जाति का विचार किए बिना एक आम झंडे के नीचे इकट्ठा करना संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन का कर्त्तव्य है. इस कर्त्तव्य को पूरा करते समय इसे यह देखना होगा कि हमारा कार्य व दृष्टिकोण ऐसा हो जिससे कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अछूतों को, जो आज ट्रेड यूनियन संघर्ष से बाहर हैं, आम वर्ग संघर्ष में शामिल किया जा सके.

दमन का सामना करते हुए आगे बढ़ो

हमारी सीटू यूनियनें कई राज्यों में भारी दमन का सामना कर रही हैं और फिर भी वे साहस के साथ संघर्ष कर रही हैं. हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और इन सबसे बढ़कर असम में हमारी यूनियनें, मजदूर और हमारे नेता पुलिस के बर्बर हमलों का सामना करते हैं.

हरियाणा में, सिरसा, में हिसार में और सोनीपत में मजदूरों पर पुलिस हमले हुए हैं. सिरसा में उनका जुर्म यह था कि उन्होंने यूनियन बनाई व एक मांगपत्र तैयार किया. पुलिस के बाद भाड़े के गुंडों ने मोर्चा संभाला और मजदूरों की बस्तियों से महिलाओं को निकलना पड़ा. सोनीपत में मिल्टन साइकल कंपनी में गुंडों के बाद पुलिस फैक्ट्री में घुसी और मजदूरों को पीटना शुरू कर दिया. हिसार के टैक्सटाइल मजदूरों को भी इसी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा.

मध्य प्रदेश में भिलाई हमारी बढ़ती ताकत के खिलाफ गुंडों द्वारा हमलों, प्रबंधकीय झगड़ों और पुलिस हमलों का गर्म बाजार बन गया है.मध्य प्रदेश सीटू के उपाध्यक्ष कामरेड पी. के. मोइत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और जमानत के लिए मना कर दिया गया है और कई मजदूरों को झूठे फौजदारी के मामलों से तंग किया जा रहा है. यह सब इसलिए है कि हमारी यूनियनों ने फैक्ट्रियों के कई मालिकान के खिलाफ संघर्ष किए हैं, इन उद्योगों में छटनी और विक्टिमाइजेशन के खिलाफ संघर्ष किए हैं. इसी राज्य में राजहरा में पुलिस को कोई कानून मालूम नहीं है. इसने आयरन और खदान में ठेका मजदूरों के संघर्ष को कुचलने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल किया है. हमारे नेताओं और मजदूरों को बहिर्गमन के आदेश दिए गए और मजदूरों के घरों पर हमले हुए. बिहार में टाटाओं द्वारा जमशेदपुर में लगाए गए 12,000 ठेका मजदूरों के लिए हमारे संघर्ष में 450 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया. कई बार पुलिस ने लाठी प्रहार किए. हमारी टिस्को कर्मचारी यूनियन की समूची कार्यकारिणी प्रबंधकों द्वारा मुअत्तिल कर दी गयी. लेकिन कृष्णकली चाय बागान के मजदूर के विद्रोही जुर्म की तुलना में कोई कुछ नहीं है. चाय बागान हस्पताल को पुलिस छावनी में

बदल दिया गया. मजदूरों के परिवारों के सदस्यों पर मैनेजर, पुलिस और इंटक के गुंडों ने हमले किये. पुलिस ने महिला मजदूरों द्वारा बलात्कार के आरोप को गंभीरता से लेने से इंकार कर दिया. मैनेजर के बंगले को टारचर चैंबर में बदला दिया गया, इनमें गिरफ्तार किए गए मजदूरों को बुरी तरह पीटा गया. जब एक घायल मजदूर ने पानी मांगा तो उसके मुंह पर पेशाब कर दिया गया और पेशाब उसके मुंह में डाल दिया गया. जब एक मजदूर ने मल त्याग किया तो उसे मल खाने के लिए मजबूर किया गया. यह इंदिरा शासन है और सीटू ने इन घटनाओं की शिकायत आई एल ओ के पास भेज दी है. साथियो बंगलोर में माइको वर्कर्स यूनियन भी जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय कामरेड सूर्य नारायण राव कर्नाटक सीटू के अध्यक्ष हैं इसी परीक्षा से गुजर रही है. एक दिन गुंडों ने यूनियन आफिस पर धावा बोल दिया और इंटक के गुंडों ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन गुंडुराव की पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की. लगता है कि ये हमले कांग्रेस (आई) सांसद एफ. एम. खान, इटक नेता और कूर्ग के बागान मालिक के अनुयायियों द्वारा किए गए थे. उत्तर प्रदेश में रामपुर में रजा टैक्सटाइल के मजदूरों को लंबी हड़ताल करनी पड़ी और दमन का सामना करना पड़ा. इस संघर्ष के दौरान यू. पी. सीटू के अध्यक्ष कामरेड हरसहाय सिंह व कामरेड रवि सिन्हा पर हमले किये गए. कानपुर में जे. के. रेयन में सीटू यूनियन को तोड़ने की कोशिशों में नाकामयाब होकर प्रबंधकों ने गैर कानूनी ले आफ कर दिया है. मिल गेट पर इंटक का कैंप गुंडों का कैंप बन गया है जिसने बार-बार हमारे मजदूरों और नेताओं को पीटा है. जब मजदूरों के दबाव से कैंप की तलाशी ली गयी तो बम और दूसरे घातक हथियार पाए गए जिसमें अग्नि हथियार भी शामिल हैं. उड़ीसा में राज्य कमेटी के महासचिव कामरेड अजेय राउत इंटक के नेतृत्व में प्रबंधकों के भाड़े के गुंडों के द्वारा कातिलाना हमले में बाल-बाल बचे. तमिलनाडु में हमारी जनरल काउंसिल के सदस्य कामरेड सी गोविंद राजन पर समाजविरोधी तत्वों ने हमला किया और उनके पेट में छुरा घोंप दिया गया. वह अब हस्पताल में पड़े हैं हालांकि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है.

हम यह भी जानते हैं कि हमारे कई बिरादराना संगठन भी हमलों के निशानें हैं. लोको और सार्वजनिक क्षेत्र की हड़तालों को पुलिस दमन का निशाना बनाया गया. उत्तर प्रदेश में मोदीनगर एक स्थान है जहां मजदूरों को पुलिस की प्रबंधकों व गुंडों के साथ सांठगांठ का सामना करना पड़ता है. मोदीनगर के एच एम एस नेता साथी जय प्रकाश की हत्या की हम निंदा करते हैं. पुलिस ने दोषियों को पकड़ने में कोई जरूरत नहीं दर्शायी. कुछ ऐसे गंभीर आरोप हैं कि कुछ व्यक्तियों ने जो प्रबंधकों से संबंधित हैं यह कत्ल किया है. पुलिस की मनमानी और दमन के, जिसका हमारे साथियों को हर कदम पर सामना करना पड़ता है, मैंने केवल कुछ ही उदाहरण दिए हैं. सीटू का हर कदम जो आगे बढ़ता है गहरे त्याग और हमारे साथियों व सदस्य मजदूरों की कठिनाइयों जिनके परिवारों को इस हमले को सहना पड़ता है से परिपूर्ण हैं.

कमियों को दूर करो

हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, असम और कर्नाटक जैसे राज्यों में अपनी प्रगति की प्रशंसा करते हुए हमें यह पूछना चाहिए कि क्या हम जरूरी गति से प्रगति कर रहे हैं और उस गति से जिसको जरूरी आर्थिक स्थिति ने संभव बनाया है. यह समझना चाहिए कि जुझारू व सैद्धांतिक संगठन की जरूरत को पूरा करते हुए हमने जो वेग तैयार किया है वह केवल एक योजनाबद्ध कार्य और हर स्तर पर अपनी गतिविधियों को ढंग से समीक्षा के द्वारा ही जारी रखा जा सकता है. अब जिसकी सख्त जरूरत है वह हैं हमारी गतिविधियों की लगातार समीक्षा जिसके प्रति ट्रेड यूनियन एकता के नाम पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और साथ ही दूसरों के साथ हमारी संयुक्त गतिविधियों की समीक्षा. सीटू केंद्र के पास जब तक ऐसी समीक्षाएं उपलब्ध नहीं होंगी, इसके लिए भविष्य में सही मार्ग दर्शन करना मुश्किल होगा.

हमारी राज्य कमेटियों और यूनियनों ने ईमानदारी के साथ और लगातार ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्यवाही के लिए कार्य किया है. उन्होंने दूसरों द्वारा पैदा की गयी अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने ट्रेड यूनियन एकता के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाया है. मजदूरों की चेतना पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? सीटू की ताकत में वृद्धि कैसे हुई है, इन सवालों का जवाब दिया जाना जरूरी है. ट्रेड यूनियन एकता के लिए संघर्ष सही नीतियों के लिए संघर्ष है, गलत नीतियों व दृष्टिकोण को दूर करने के लिए संघर्ष है और इससे ताकतों क बनबनाव में फर्क अवश्य आना चाहिए—सही नीतियों व दृष्टिकोण की मजदूरों के बड़े से बड़े हिस्से द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए. हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि महीनों के लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को अवसरवादी तत्व बहका ले जाते हैं. हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि हमारी साख के बावजूद कुछ व्यक्ति वामपंथी नारों को लगाते हुए या प्रदर्शनकारी कार्यवाही को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं. बिना किसी सिद्धांत वाले व्यक्तिवादी नेताओं की उत्पत्ति हमारी सतर्कता और हमारी कमियों की आलोचना की मांग करती है.

समीक्षा की कमी के कारण ट्रेड यूनियन एकता में तेज वृद्धि में बाधाओं और इसकी उपलब्धियों को ठीक तरह से समझा नहीं जाता है. ट्रेड यूनियन एकता के लिए बहुमुखी असल इच्छा के दौर में बंबई सम्मेलन ने एक मौका दिया था. इस संघर्ष में जिसका आश्वासन दिया जाना चाहिए वह केवल नेतृत्व द्वारा समझौते नहीं हैं बल्कि एकता की भावना को नीचे तक ले जाना है. यह जरूरी है कि सभी संगठन प्रदर्शनों व कार्यवाहियों में अपनी पूरी ताकत लगाएं और यह सीटू का कर्त्तव्य है कि इस जरूरी कदम के लिए सभी बाधाओं को दूर करें.

वाममोर्चा सरकारों की रक्षा करो

साथियो, हम सभी पश्चिम बंगाल सरकार को चार साल पूरे करने पर बधाई देते हैं. मजदूर वर्ग व जनता की सेवा में यह एक स्मरणीय बात है और इसके साथ स्मरणीय उपलब्धियां जुड़ी हैं. लेकिन प्रतिक्रियावादी ताकतें अपनी साजिशें रच रही हैं.

पश्चिम बंगाल मंत्रालय की तरह त्रिपुरा सरकार को भी प्रसिद्ध उपलब्धियों का श्रेय प्राप्त है. कांग्रेस (आई), आमरा बंगाली और कुछ प्रतिक्रियावादी जनजाति तत्वों, जिनमें से कुछ को विदेशों से सहायता मिल रही है, की संयुक्त साजिशों से उत्पन्न कठिन स्थिति के बावजूद ये उपब्धियां हासिल हुई हैं. इस सरकार को योजनाबद्ध हत्याओं व नरसंहार का सामना करना पड़ा और यह जनता की एकता को बनाए रखने व उनके पक्ष में कदम उठाने में कामयाब रही.

केरल सरकार को भी कांग्रेस (आई), आर एस एस, नक्सलवादियों और अन्य प्रतिक्रियावादियों के हमलों का सामना करना पड़ा. लेकिन जनता पर विश्वास करते हुए बेरोजगारों को राहत आदि जैसे कई प्रगतिवादी कदम उठाने में यह कामयाब रही और अपनी लोकप्रिय एकता को मजबूत बनाया. तीनों सरकारों ने जनता को बुनियादी अधिकारों की गारंटी दी है और अपने विरोधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया है.

जनवाद की इन प्रहरियों की रक्षा करना भारत के मजदूर वर्ग का फौरी काम है और हमारी जनरल काउंसिल को यह आश्वासन देना चाहिए कि यह काम बखूबी निभाया जाएगा. साथियो मैं एक बार फिर जनवाद व अधिनायकवाद की ताकतों के बीच संघर्ष की ओर, जो भारत में राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में हावी है, ध्यान दिलाना चाहूगा. आर्थिक प्रगति के लिए जनवाद के पास तब तक ऐसा कोई मौका नहीं है जब तक अधिनायकवादी पार्टी को दबाया नहीं जाता और जनता द्वारा इसे शासन से अलग नहीं किया जाता. यह सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के माध्यम से एक पार्टी तानाशाही लगाना चाहती है.

इस संग्राम में अगुवा भूमिका अदा करने के लिए मजदूर वर्ग का अब आह्वान किया जाता है, इसका आह्वान किया जाता है कि वह ट्रेड यूनियन एकता के माध्यम से अपने वर्ग की शक्ति पूरी का इस्तेमाल करे और अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी दूसरी विपक्षी व जनवादी ताकतों को आकर्षित करे. आज यही हमारा बहुत जरूरी काम है.

संकटग्रस्त पूंजीवादी दुनिया

साथियो हम पूंजीवादी दुनिया की संकटग्रस्त हालत के दौर में मिल रहे हैं. विकसित पूंजीवाद के सभी देश अभूतपूर्व बेगोजगारी व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं. ई ई सी देशों में बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ हो गयी है. अकेले ब्रिटेन में ही 25 लाख बेकार हैं और यह संख्या पिछले साल के आंकड़ों से 10 लाख ज्यादा है. देश में बेरोजगारी की दर कुल मिलाकर 10.6 प्रतिशत हैं. इस साल सात लाख बीस हजार ब्रिटिश स्कूलों के छात्र श्रम बाजार में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं. केवल 4 हजार नौकरियां उनका इंतजार कर रही हैं. हाल ही के दंगों से कंजरवेटिव सरकार को नए लोगों को काम देने का वादा करने के लिए मजबूर होना पड़ा. लेकिन यह केवल वादा ही रहेगा. अमरीका में भी भारी बेरोजगारी है और इसके बढ़ने की आशा है. बिना बिके स्टाक 20 अरब 40 करोड़ डालर के हैं और जी एन पी में गिरावट की संभावना है.

साथियो, इस स्थिति के संबंध में मैं एक अमरीकी लेखक का उद्धरण देता हूं; "प्लांट बंद होने की ऐसी लहर जो इस्पात व परिवहन यंत्रों जैसे बुनियादी उद्योगों को प्रभावित करती है पहले कभी नहीं थी... बंद किए जाने वाले प्लांटों को चुनना और नये प्लांटों का लगाना वर्ग युद्ध के विचारों से बहुत ही प्रभावित रहता है.... 1930 के दशक के बाद पहली बार आटोमोबाइल व एयर-लाइंस जैसे बड़े उद्योगों के कार्पोरेशन सैकड़ों हजारों मजदूरों पर प्रत्यक्ष वेतन जाम थोप रहे हैं. वे कहते हैं कि रोजगार बचाने के लिए वेतन जाम जरूरी है, दिवालिये की स्थिति में ये नौकरियां खत्म हो जाएंगी. क्रिस्लर कार्पोरेशन के मजदूरों ने पहले ही भारी वेतन कटौती स्वीकार कर ली है और इसी प्रकार जनरल मोटर्स व फोर्ड भी समान वेतन जाम की मांग कर रहे हैं."

"वाशिंगटन द्वारा खुल्लमखुल्ला मजदूर विरोधी कदम उठाए जाने से श्रम रक्षा कानूनों को लागू करना बिगड़ता जा रहा है. खास तौर से न्यूनतम वेतन व अधिकतम घंटों के कानून द्वारा दी गई सुरक्षा उन उद्योगों में जहां इसकी सख्त जरूरत है बिल्कुल खत्म हो गई है, ये उद्योग हैं : टैक्सटाइल, वस्त्र व अन्य हल्के उद्योग, कृषि, व सेवा उद्योग."

"इस समय न्यूयार्क शहर में कहा जाता है कि वस्त्र उद्योग में 3,000 'स्वीटशाप' हैं जिनमें 50,000 मजदूर काम करते हैं. इन मजदूरों को दिन में 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और सरकारी न्यूनतम वेतन के आधे से भी कम वेतन दिया जाता है. उनमें से अनेक 'गैर पंजीकृत मजदूर' हैं; ये लैटिन अमरीकी व एशियाई देशो से अमरीकी साम्राज्यवाद के कठपुतलियों द्वारा ढाए गए इससे भी अधिक बर्बर शोषण से बचने के लिए भागे हैं. वास्तव में अल सल्वाडोर से अमरीकी मिलिटरी व राजनीतिक 'सलाहकारों' के निर्देश पर काम करती हुई कातिलाना जुनटा से बचने के लिए हजारों लोग भागे हैं—जैसा कि डोमिनिकन रिपब्लिकन पर अमरीकी हमले के परिणामों से बचने के लिए अनेक पीड़ित भागे थे.

"न्यूयार्क टाइम्स (26 फरवरी, 1981) का एक पत्रकार स्वीटशाप में हालात का बयान इस प्रकार करता है :

"महिलाओं की कतारें सिलाई की मशीनों पर झुकती हैं, इनके बीच केवल तंग रास्ते हैं जिनसे वस्त्रों के ढेर और सिलाई के कपड़े पड़े होने की वजह से गुजरा नहीं जा सकता. आग के समय निकलने का रास्ता व खिड़कियां भी प्रायः बंद रहती हैं या उन पर ताले लगे होते हैं जिससे खतरे के समय निकलना भी मुश्किल रहता है...स्वीटशाप...न्यूनतम वेतन व घंटों का कानून, बच्चा श्रम कानून और अग्नि व सुरक्षा कोड नियमों का पालन नही करती हैं...ट्रायंगल शरवेस्ट फैक्ट्री में आग के 70 साल बाद, जिसमें 146 वस्त्र मजदूर मारे गए थे, यह पुनरावृत्ति हुई है."

नया अंतर्राष्ट्रीय तनाव

और अब ये अमरीकी साम्राज्यवादी पोलैंड को बचाना चाहते हैं ताकि भारी बेरोजगारी व मुद्रास्फीति पैदा की जा सके.

साथियो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की और नए अंतर्राष्ट्रीय तनाव की यह छटपटाती भूमिका है.

रीगन प्रशासन ने पिछले प्रशासन द्वारा शुरू किये गए तनाव शैथिल्य के कदमों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. यह विश्व शांति को खतरे में डाल रही है और यूरोप, एशिया, अफ्रीका व अमरीका के देशों की सुरक्षा व शांति को चुनौती दे रही है. यूरोप की जनता न्यूक्लीयर हथियारों व न्यूट्रान बमों से लैस मिलिटरी कार्यवाही की धमकी का सामना कर रही है. रीगन प्रशासन का नरसंहार का पैशाचिक हथियार—न्यूट्रान बम बनाने का फैसला मानवता के खिलाफ जुर्म है.

पश्चिम एशियाई देशों को प्रत्यक्ष अमरीकी हस्तक्षेप का खतरा है. पेंटागन की सहायता से इजराइल लेबनान के खिलाफ लगातार युद्ध कर रहा है. इसी जियोनिस्ट ताकत ने अमरीका के सीधे आदेश पर इराक पर हमला किया ताकि इसका न्यूक्लीयर रिएक्टर ध्वस्त किया जा सके. ईरान में मुंह की खाने के बाद अमरीकी साम्राज्यवाद तेल क्षेत्र में पांव जमाने की पूरी कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को अफगान के 'स्वतंत्रता संग्रामियों' की सहायता के बहाने अपना फौजी अड्डा बना रहा है. अफगानिस्तान की प्रगतिशील ताकतों को साम्राज्यवादी हमलों से बचने के लिए सोवियत सहायता को यह इस क्षेत्र को फौजी छावनी बनाने का बहाना कर रहा है.

भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध का खतरा

मार्च में लोकसभा में पेश की गयी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट हिंद महा सागर में एक लाख दस हजार व्यक्तियों की ताकत को लगाने की अमरीकी योजना को नोट करती है. हिंद महासागर में स्थित डिगो गासिया का अड्डा तटवर्ती देशों के खिलाफ कार्यवाही को मुमकिन बनाता है. भारत को व तटवर्ती देशों को यह एक स्थिर खतरा है.

लेकिन भारत को खतरा यहीं खत्म नहीं होता. अमरीकी पाकिस्तान के मिलिटरी शासकों को तेजी के साथ अपने नवीनतम हथियार प्रदान कर रहा है ताकि दो देशों के बीच युद्ध की धमकी को लगातार बनाए रखा जा सके. यह पाकिस्तान को न्यूक्लीयर बम बनाने के लिए अपनी न्यूक्लीयर शक्ति का निर्माण करने के लिए कहता है जबकि यह भारत को सुरक्षा प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए कहता है. पाकिस्तानी तानाशाह जिसके पास जनता को मूर्ख बनाने का अब कोई उपाय नहीं है, सोवियत विरोधी अमरीकी तलवार की तरह काम करते हुए अफगानिस्तान को तुर्प चाल बना रहा है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हथियारों को जमा कर रहा है. प्रतिक्रियावादी पाकिस्तानी प्रचारतंत्र पहले ही दोनों देशों में युद्ध होने की संभावना की खुल्लमखुल्ला व्यक्त कर रहा है.

अमरीका पाकिस्तान की तुर्प चाल चल रहा है ताकि तनाव बढ़ाया जा सके और भारत पर अपनी विदेश नीति—खासतौर से अफगानिस्तान के संबंध में नीति—को बदलने लिए दबाव डालने के लिए युद्ध का खतरा पैदा किया जा सके.

ये दबाव मित्रता व सहयोग की इंडो-सोवियत संधि को [illegible] करने और सरकार की नीति साम्राज्यवादी खेमे की ओर [illegible] के लिए ही दिए जा रहे हैं. इसके साथ ही तारापुर न्यूक्लीयर प्लांट को यूरेनियम को आपूर्ति न करना, उन देशों को जो अमरीकी लाइन का पालन नहीं करते आर्थिक सहायता न देने आदि जैसे कदम उठाए जा रहे हैं.

साथियों यह नोट किया जाना चाहिए कि जहां भारत की जनता व मजदूर वर्ग पाकिस्तान को अमरीकी मिलीटरी सहायता को पाकिस्तान व भारत की जनता के खिलाफ साजिश के रूप में, दो देशों के बीच युद्ध के हथियार के रूप में, निंदा करते हैं, वहां पीपुल्स चीन की सरकार बिलकुल विपरीत रूख अपनाती है और पाकिस्तान के मिलिटरी शासन को हथियार दिये जाने का समर्थन करती है. हमारा देश जिसे पाकिस्तान के साथ तीन युद्धों का अनुभव है इस मुद्दे पर आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता, हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ अमरीकी साजिश के प्रति आंखें नहीं मूंद सकता.

हम अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध चाहते हैं. हम विश्व के देशों में शांति व भाई-चारे के संबंध चाहते हैं. हमें खुशी है कि पीपुल्स चीन के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में कुछ काम हुआ है. इसमें शक नहीं की पीपुल्स चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. दोनों देशों का मजदूर वर्ग व जनता चाहते हैं कि स्वतंत्रता के शुरू के दिनों में मौजूद गहरे दोस्ताना संबंध फिर से स्थापित करने के लिए तेजी से प्रगति हो.

साम्राज्यवादी मंसूबों को धराशायी करो शांति के लिए संघर्ष करो

यह नहीं कहा जा सकता कि हमारा मजदूर वर्ग देश के समक्ष खतरे के प्रति तैयार है और उसे समझता है. संशोधनवादी नेता, इंटक के मौकापरस्त और दूसरों ने, जो मजदूरों को केवल चुनावी पशु मानते हैं, मजदूर वर्ग में विदेश नीति व साम्राज्यवाद से बाहरी खतरे के सवाल के प्रति मजदूर वर्ग को उदासीन बना दिया है. अगर हम इस कमजोरी को दूर नहीं करते हैं तो राष्ट्र की स्वतंत्रता किसी भी दिन खतरे में पड़ सकती है. इंदिरा गांधी कीबुर्जुवा जमींदार सरकार लोकप्रिय ताकतों को इकट्ठा करने और साम्राज्यवादी मंसूबों के खिलाफ लड़ने के योग्य नहीं है. भारतीय जनता पार्टी जैसी कुछ विपक्षी पार्टियां इन मंसूबों को किनारे कर जाती हैं और जनता का गलत मार्ग दर्शन करती हैं. हमारी ट्रेड यूनियनों का यह कर्तव्य है कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए, पाकिस्तान व भारत में दुश्मनी पैदा करने के अमरीकी मंसूबों को धराशायी करने के लिए और साम्राज्यवाद या इसके पिट्ठुओं के किसी हमलावर कदम का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता को तैयार करने के लिए मजदूर वर्ग को सचेत करें. इसके साथ-साथ हमें विश्व शांति के लिए और हमलावर मुठभेड़ के लिए अमरीकी मंसूबों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी है. हम सबको सोवियत यूनियन व समाजवादी खेमे द्वारा विश्व को युद्ध और मिलिटरी कार्यवाही से बचने के लिए चलाए गए संघर्ष का समर्थन करना चाहिए. □

नीमच में अफीम चुंबक कांड, मजदूरों को फांसने की कोशिश

इस वर्ष मध्य प्रदेश में 2,024 गांवों में 7,700 किसानों को 16,000 हैक्टेयर भूमि पर अफीम के खेतों के लिए लाइसेंस दिए गये थे. मार्च के दूसरे सप्ताह में किसानों को अफीम मिली. सरकार ने नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम का तोल 4 अप्रैल से 10 मई तक 32 तोल केंद्रों में संपन्न हुआ. लगभग 700 टन अफीम का उत्पादन हुआ और 12 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. विभिन्न श्रेणी की अफीम का भुगतान 150 से 220 रुपये प्रति किलो की दर से किया गया. काले बाजार में इसकी कीमत 750 से 1,000 रुपये हैं

नारकोटिक्स विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अफीम की खेती के लिए भूमि के पट्टे एवं लाइसेंस वितरित करता है. लाइसेंस वितरित करते समय रिश्वत-खोरी व पक्षपात किया जाता है. कहा जाता है कि कुछ उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को माध्यम से कुछ मोटे किसानों को अतिरिक्त अवैध भूमि पर भी अफीम पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे ये अधिकारी रिश्वत के रूप में हजारों रुपये हजम कर जाते हैं.

अफीम तोल का इंतजाम नारकोटिक्स विभाग द्वारा ही किया जाता है. तोल कर्मचारियों की नियुक्ति यह खुद ही करता है. अफीम तोल के समय किसानों का विभिन्न तरीकों से शोषण किया जाता है. 'अवैध बाट' प्रयोग किए जाते हैं जो वजन में ज्यादा भारी होते हैं. नमूने के तौर पर 50-100 ग्राम अफीम रख ली जाती है जिसका भुगतान नहीं होता. अफीम का ग्रेड तय करने के नाम पर भी धोखाधड़ी की जाती है. इस तरह प्राप्त अवैध अफीम काले बाजारियों को ऊंचे दामों पर बेच दी जाती है.

24 अप्रैल को नीमच तहसील के मोरवां अफीम तोल केंद्र में तोलने वाला व्यक्ति एक चुबंक का प्रयोग करते रंगे हाथ किसानों द्वारा पकड़ लिया गया. वह 250 ग्राम के चुबंक को तराजू के उस पलड़े के नीचे लगा देता था जिसमें बाट रखते हैं. इस प्रकार हर तोल मे वह किसानों से 250 ग्राम अधिक अफीम ले रहा था जिसे गुप्त स्थान पर रख दिया जाता था. किसानों की उत्तेजना को देखते हुए उच्चाधिकारियों ने उसे वहां से भगा दिया लेकिन बाद में उसे पकड़ना पड़ा. उसने बताया कि वह इसका इस्तेमाल उच्चअधिकारियों के कहने पर करता रहता था. इसके लिए उसे 50 रुपये प्रतिदिन मिलते थे.

दो चार तबादले इधर उधर करके मामले को रफा दफा कर दिया गया जबकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पूरी जांच की जानी चाहिए थी. पता चला है कि सिंगोली, रतनगढ़ व अन्य केंद्रों पर भी उसने इसी चुबंक का इस्तेमाल किया था.

12-13 मई को ओपियम व अल्कलाइड फैक्ट्री के एक मजदूर के घर से 12.25 किलोग्राम मारफीन जब्त की गई. कहा जाता है कि इसमें इस फैक्ट्री के अधिकारियों का हाथ हो सकता है. इस प्रकार लाखों रुपये की धांधली की जा रही है.

गवर्नमेंट ओपियम एंड अल्कलाइड एंप्लाईज संघ (सीटू) द्वारा चोरी एवं तस्करी की शिकायत प्रधान मंत्री, वित्त सचिव व सी बी आई आदि को पिछले तीन सालों से की जा रही है. जांच पड़ताल के विषय में कुछ खास काम अभी तक नही हुआ है. क्योंकि सीटू नेतृत्व ये शिकायतें भेजता रहा है इसलिए अब सीटू के कार्यकर्त्ताओं को कांग्रेस (आई) के लोग तस्करी के मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. □

जे के रेयान कानपुर में गैरकानूनी बैठकी

कानपुर में जे. के रेयान के मालिकान ने मिल के 1,800 मजदूरों को एक जुलाई से बैठकी करके बेरोजगार बना दिया है. यह बैठकी श्रम विभाग की पूर्व अनुमति के बगैर की गई है. जब श्रमिकों ने बैठकी का विरोध किया तो सौ श्रमिकों को गिरफ्तार करके उन्नाव जेल में एक महीने तक बंद रखा गया.

यद्यपि बैठकी तो एक जुलाई से ही कर दी गई थी मालिकान ने बैठकी का आवेदन तीन जुलाई को दिया जिसमें समस्त श्रमिकों की 20 जुलाई तक बैठकी करने की अनुमति इस आधार पर मांगी गई थी कि मालिकान मशीनों की मरम्मत और आवश्यक रखरखाव करना चाहते हैं.

उक्त आवेदन पत्र पर अतिरिक्त श्रमायुक्त कानपुर क्षेत्र के समक्ष सुनवाई के दौरान जे के रेयान वर्कर्स यूनियन (सीटू) ने उक्त आवेदन के संबंध में अपनी आपत्तियां एवं तर्क प्रस्तुत कर यह मांग की बैठकी की अनुमति नही दी जाए क्योंकि बैठकी गैरकानूनी है जैसा कि दो जुलाई को स्वयं अतिरिक्त श्रमायुक्त ने एक प्रैस बयान में यह स्वीकार किया था.

सुनवाई की अन्य तिथि पर बाद में मालिकान ने दूसरा आवेदन पत्र दिया कि श्रमिकों की बैठकी राज्य के मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री की सलाह पर की गई है. अतः बैठकी की अनुमति का आवेदन पत्र मात्र एक औपचारिकता है. अत्यंत आश्चर्य की बात हैं कि अतिरिक्त श्रमायुक्त ने श्रमिकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए मालिकान को श्रमिकों की एक जुलाई से बैठकी करने की अनुमति 4 अगस्त को दे दी जो पूर्णतः अनुचित और गैर कानूनी है.

जे के रेयान के मजदूर काफी अरसे से संघर्षरत हैं और कई बार उन्हें मालिकान के भाड़े के गुंडों व पुलिस के हमलों का सामना करना पड़ा.

इस संघर्ष के संबंध में 9 अगस्त को सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती और उत्तर प्रदेश सीटू के महासचिव व यूनियन के अध्यक्ष दौलत राम केंद्रीय श्रम मंत्री से मिले. उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में अविलंब हस्तक्षेप की मांग की ताकि गैरकानूनी बैठकी अविलंब समाप्त की जाए, तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को सुरक्षित व बरकरार रखा जाए आदि. □

काले अध्यादेश के खिलाफ देशव्यापी भारी प्रदर्शन

हड़तालों पर रोक लगाने वाले आवश्यक सेवा अध्यादेश के प्रति मजदूर वर्ग ने अपने पूर्ण विरोध का इजहार किया है और इसको वापिस लिए जाने की मांग की हैं.

जैसा कि रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं, सभी राज्यों में देश के कोने कोने में 17 अगस्त को संयुक्त रैलियां, प्रदर्शन हुए. काले बिल्ले पहने गए और मीटिंगों में इस काले अध्यादेश को वापिस लेने की मांग की है. इससे यह पता चलता है कि हड़ताल के अपने अधिकार की रक्षा के प्रति मजदूरों में किस तरह एकता की भावना है.

बंबई में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अन्य फेडरेशनों ने एक भारी रैली आयोजित की जिसमें विभिन्न हिस्सों के लगभग एक लाख मजदूरों ने भाग लिया. कलकत्ता में प्रतिरोध जाहिर करने के लिए समूचा यातायात तीन मिनट के लिए रुक गया. सभी मजदूरों ने, दफ्तर जाने वालों ने, छात्रों, युवकों व महिलाओं ने काले बिल्ले पहने और दफ्तर के समय के पहले व बाद में तथा दोपहर के खाने के दौरान बड़ी रैलियां व प्रदर्शन आयोजित किए. श्रीनगर में अध्यादेश वापिस लेने की मांग करते हुए एक भारी सभा हुई. असम सरकार ने केंद्रीय रैली की इजाजत नहीं दी.

समूचा देश 'काला अध्यादेश मुर्दाबाद' के नारों से गूंज उठा. दिल्ली व इसके आस पास के औद्योगिक क्षेत्रों के हजारों मजदूर कड़कती धूप की परवाह न करते हुए फिरोजशाह कोटला मैदान से बोट क्लब गए जहां आठ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों—जैसे सीटू, एटक, एच एम एस उटक, बी एम एस, उटक (एल एस), टी यू सी सी और इंटक (दारा), के नेताओं ने एक रैली को संबोधित किया. जनता के बुनियादी अधिकारों के दमन के अधिनायकवादी कदम के खिलाफ एकजुट संघर्ष करने को मजदूरो में दृढ़ निश्चय भरा था. इस कदम से ब्रिटिश शासन के रोलट एक्ट की याद ताजा हो जाती है जिसने मात्र संदेह होने पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस सिपाही तक को दी थी. दिल्ली के जूनियर डाक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर संघर्ष की मुख्य धारा में प्रवेश किया. लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने बोट क्लब पर एक दिन का धरना आयोजित किया.

केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं ने मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि वे किसानों व खेतिहर मजदूरों के साथ एकता कायम करें और बंबई सम्मेलन के संघर्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं तथा सर्दियों में पार्लियामेंट के लिए कूच व अखिल भारतीय हड़ताल की तैयारियां करें. बाद में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष को अध्यादेश को वापिस लेने की मांग करते हुए एक ज्ञापन दिया. जनता की आवाज लोकसभा में भी संपूर्ण शक्ति के साथ उठाई गई व समूचे विरोधी पक्ष ने अध्यादेश को वापिस लिए जाने की मांग करते हुए संसद से उस समय बहिर्गमन किया जब इसे जबरदस्ती पेश करने की कोशिश की गई.

हिसार के टैक्सटाइल मजदूरो की अनिश्चितकालीन हड़ताल

हरियाणा में हिसार टैक्सटाइल मिल, हिसार के पांच हजार से भी ज्यादा मजदूर, जिसमें कारीगर, चपड़ासी, ड्राइवर, माली, मिस्त्री, क्लर्क आदि भी शामिल हैं, 20 मई से अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल का नेतृत्व पांच यूनियनों की एक संघर्ष समिति कर रही है.

एक साल से भी ज्यादा समय से प्रबंधक बोनस और मंहगाई भत्ते के सवाल पर टालमटोल की नीति अपनाते रहे हैं. इसके कारण मजदूरों में काफी असंतोष पैदा हो गया था.

बोनस के सवाल पर प्रबंधक हमेशा यह कहते रहे हैं कि मिल घाटे में चल रहा है जबकि यह बिलकुल गलत है. संघर्ष समिति के अनुसार मिल को भारी मुनाफा होता है. बिजली संकट के बावजूद भी इस मिल का पहिया कभी रूका नहीं है क्योंकि मिल के पास निजी टर्बाइन व डीजल इंजन है. मजदूरों के संघर्ष को प्रबंधक कानून व व्यवस्था का मामला बना देते हैं.

पिछले समझौते के खत्म हो जाने के बावजूद भी प्रबंधक महंगाई भत्ते पर बातचीत करने के लिए तैयार नही हैं.

इस मिल मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी भी अन्य केंद्रों की तुलना में काफी कम है, जबकि यहां का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दूसरे केंद्रों की तुलना में ज्यादा है.

स्थायी प्रकृति का काम ठेकेदारों की मार्फत कराया जाता है. मजदूर रोज 10 मील चलकर मिल में काम करने के लिए आता है लेकिन उसे काम नहीं दिया जाता, इसके कारण आकस्मिक मजदूरों को महीने में 15 दिन भी काम मिलना कठिन रहता है. इस तरह 470 रूपये न्यूनतम वेतन का आधा ही वह प्राप्त कर पाता है. इसके अलावा तनख्वाह के दिन अनेक मजदूरों की तनख्वाह में यह कह कर कटौती कर दी जाती है कि उनका काम ठीक नही था. संघर्ष समिति ने आम जनता से अपील की है कि वह संघर्षरत मजदूरों की सहायता करे. □

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डी.ए. शेडस्, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित